लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th S

LOK SABHA DEBATE

Preservation Unit
Fumigated
On 24-8-92
Parliament Library

[सातवां सत्र
Seventh Session]

PARLIAMENT LIBRARY
73(8)
16.1.74

[खंड 28 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 57, मंगलवार, 15 मई, 1973/25 वैशाख, 1895 (शक)

No. 57, Tuesday, May 15, 1973/Vaisakha 25, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8	Short Notice Question No. 8..	1—3
विशेषाधिकार के प्रश्न	QUESTION OF PRIVILEGE	3—10
(एक) श्री जम्बुवन्त धोते, संसद सदस्य की गिरफ्तारी	(i) Arrest of Shri Jambuwant Dhote, M.P.	3—7
(दो) संसद पर कथित आक्षेप करने वाला 27 अप्रैल 1973 के 'जुगन्तर' में प्रकाशित लेख	(ii) Article published in the Jugantar dated 27th April 1973 allegedly casting reflections on Parliament	7—8
(तीन) एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के प्रतिवेदनों को लोक-सभा के पटल पर रखने में सरकार की असफलता	(iii) Failure of Government to lay on the table of the Lok Sabha the reports of Monoplics and Restrictive Trade practices Commission. . . .	8—10
सभा पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE .	10—15
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	15
19वां और 20वां प्रतिवेदन	Ninteenth and Twentieth Reports	15
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit	16
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report .	16
इंडियन एयरलाइन्स के लिए रूस से विमान खरीदने के प्रस्ताव के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 961 के उत्तर में दी गई कतिपय जानकारी के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement *re.* certain information given in answer to Started Question No. 961 regarding proposal to buy planes from Soviet Union for Indian Airlines	16—20
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	16—19
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . .	19—20
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377 .	20—22

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
काराधान विधि (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill—	22—24
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committee.	24—27
बागान श्रम (संशोधन) विधेयक	Plantations Labour (Amendment) Bill	
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने का प्रस्ताव	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to Joint Committee	24—27
शिक्षु (संशोधन) विधेयक	Apprentices (Amendment) Bill	27—30
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	27—28
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	27—28
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	28
खंड 2 से 24 और 1	Clauses 2 to 24 and 1	28—29
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass as amended .	30
प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने के बारे में चर्चा	Discussion re Location of Tractor Factory at Pratapgarh.	30—31
श्री दीनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	30—31
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	
श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़	Shri Fatesinghrao Gaekwad	
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	31
आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी और उनकी कीमतों में असाधारण वृद्धि के बारे में चर्चा	Discussion re Acute shortage and abnormal Rise in Prices of Essential Commodities.	32—48
श्री मानसिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura	32
श्री के० डी० मालवीय	Shri K.D. Malaviya	32
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	32—33
श्री भागवत झा आजाद	•Shri Bhagwat Jha Azad	33—34
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattachrayya	35—36
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Shila Kaul .	36
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	36—37
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	37—38
श्री मोहनराज कलिंगारयार	Shri Mohanraj Kalingarayar	38—39
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh .	39
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody.	39—40
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	40
श्री नानूभाई एन० पटेल	Shri Nanubhai N. Patel	40—41

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	41
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shanker Dayal Singh .	41
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	42
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukal .	42–43
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	43
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	43
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram gopal Reddy . .	43
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim . .	44
श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwari .	44
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra .	44—45
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	45
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra .	46
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	46
श्री यशवंत राव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan . .	46—48

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 15 मई, 1973/ 25 वैशाख, 1895 (शक)
Tuesday, May 15, 1973/Vaisakha 25,1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR SPEAKER *In the Chair*]

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Reconstruction of Chitauni Bagha Bridge Across the Gandak River on North Eastern Railway

SNQ. 8. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether an annoucement was made in a public meeting held recently in Gorakhpur that the Chitauni Bagha bridge across the Gandak river on North Eastern Railway which was washed away in 1922, would be reconstructed ;

(b) if so, when the construction work is going to be started, and

(c) the extent to which the people of Bihar and Uttar Pradesh are going to be benfited by it ?

रेल मंत्री श्री एल० एन० मिश्र : (क) से (ग)' 21-4-1973 को गोरखपुर में बाराबंकी-समस्तीपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर और उसी तारीख को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की मंडल विकास परिषद् की बैठक में भी, बगहा और छितौनी के बीच पुराने पुल और सम्पर्क को पुन: स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन किये गये थे । सिद्धांत रूप में यह विनिश्चय किया गया है कि रेल संचार की पुन: स्थापना के लिए इस क्षेत्र में रेल पुल का निर्माण किया जाये । इसके लिये अन्तिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर विचार करना होगा ।

Shri Bibhuti Mishra : I as well as the people of this zone, thank the Prime Minister and the Railway minister. The Britishers had constructed this bridge for their own convenience keeping in view their own economic and political advantages. After Gandhijis movement this bidge was swept away. The Britishers did not reconstructed it becuse they saw that it is causing difficulties to Indians. Thereafter chaura chauri chauri case incidents occured near it and Gandhiji had to call off the movement. Now in case the Railway Minister has agreed in principle to the construction of the bridge, would like to know the line by which the survey of the said bridge would be undertaken.

Shri L. N. Mishra : It is really the Priminister who should be thanked for this. The bridge would certainly be constructed and the survey work would be completed shortly. It would be a revolutionary step towards the economic transformation of Northen Bihar and Eastern U. P.

Shri Bibhuti Mishra : It is a fact that Punjab, U. P., Bihar and Assam would be linked together with the construction of the bridge and that the distance would be reduced by hundred miles because of which a good deal of Government and Railway expenditure would be saved. I would therefore like to know a positive date by which the survey work would be undertaken and completed.

Shri L. N. Mishra : The distance would be reduced still further. The distance between Gorakhpur and Raxaul which is at present 262 miles would be reduced to 120 K.M. and Haripur from 462 to 162 miles. It would be very useful but I can not say positively that the work would be started in two or three months, but of course the survey work would be undertaken as quickly as possible.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I congratulate the Government for taking a decision to construct this bridge but I would like to know the reason for announcing this decision in a meeting called by a political party in July, and not while presenting the Railway Budget in Parliament.

Shri L. N. Mishra : The annoncement to construct this bridge was made in a public meeting called in connection with the conversion of samastipur-Barabanki meter guage line into a Broad guage line. This was discussed in the meeting of that political party, the general public demanded it and the announcement was made at the government function.

Shri Nar Singh Narayan Pandey : whether the survey committee is facing shortage of technical experts and, if so whether the number of experts would be increased so that the work is completed on time ? The chief Engineer and the General Manager have visited the site only once and the shortage of technical experts might delay the work.

Shri L. N. Mishra : I do not think there is any shortage. I met the General Manager only three days back and he informed me that there is sufficient staff and the survey work is being done expeditiously.

Shri Madhu Limye : I welcome the decision to construct the bridge but there is a vast difference between the announcement and implimentation I would therefore like to know the time by which the construction of this bridge would be completed. He should also clarify that whenever an announment about the construction of a bridge or extension of a railway line is made whether it should be with a view to mislead the voters ? During my elections, the Railway Minister had, as an inducement to the voters, an announced the extension of Mandar Railway. I had asked the Railway Minister the time by which the extension of Mandar Railway would be undertaken but he has not replied so far. I want your ruling that whenever Parliament is in session the announcement for the constrution of a bridge or the extension of a Railway line should be made in Parliament and not in areas where elections are being held or at the party meetings.

Mr. Speaker : For this purpose you should write to the election commissioner.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is a question of propriety that such an announcement should not be made in public when Parliament is in session. The bridge constructed by the Congress party or by the permission of the public ?

Mr. Speeker : It is being constructed by and on behalf of the Government.

Shri Madhu Limya : I do want that the bridge be constructed but the announcement showed be made in Parliament.

Shri Bhagwat Zha Azad : It is the right of the Minister to answer questions or give assurances whenever he visits any place. **(Interruptions)**

Mr. Speaker : The proceeding will not move smoothly in this manner.

एक माननीय सदस्य : विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कांग्रेस का कोई व्यक्ति घोषणा करता है तो सचमुच यह दलगत विषय है। यदि यह सरकारी घोषणा है, तो इसके लिये कोई निर्णय देने की आवश्यकता नहीं।

Shri Madhu Limye : When Parliament is in session ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री को घोषणा करने का अधिकार है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं ? क्या मैं उनसे कहूं कि ऐसा मत करो ? कृपया ऐसे विषय मत उठाइए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि आपने यह विनिर्णय दिया था कि यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं पहले सभा में की जानी चाहिए। फिर अन्यत्र की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि नीति विषयक मामला नहीं है। केवल नीति विषयक मामलों की ही सभा में घोषणा की जानी चाहिए यदि सभा की बैठक चल रही हो। इस तरह के सैकड़ों पुलों का निर्माण किया जा रहा है, वे इस रूलिंग के अन्तर्गत नहीं आते।

श्री एच० एम० पटेल : क्या यह निर्णय लिया गया था कि इस पुल का निर्माण किया जाएगा। यदि यह निर्णय लिया गया था तो यह घोषणा उसकी पुष्टि मात्र ही थी। परन्तु यह अन्यत्र महत्वपूर्ण मामला है। श्री विभूति मिश्र ने भी कहा है कि इससे अनेक राज्यों के बीच यातायात को दूरी काफी कम हो जाएगी (व्यवधान)।

विशेषाधिकार के प्रश्न
QUESTIONS OF PRIVILEGE

श्री जाम्बुवन्त धोते, संसद सदस्य की गिरफ्तारी

श्री बीरेन्द्रसिंह राव (महेन्द्रगढ़) : लोक-सभा के सदस्य श्री धोते को गिरफ्तार किया गया है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। मैं जानकारी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार से कहा है कि वह इस बारे में जानकारी दे। मंत्री महोदय बैठक स्थगित होने के पूर्व अपना वक्तव्य देंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सरकार ने इस सभा में कई बार यह घोषणा की है कि वह किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं करेगी। परन्तु श्री धोते को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वे फारवर्ड ब्लाक से सम्बन्धित हैं। उनको आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया है, राजनैतिक आधार पर।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस मामले विशेष में मैं श्री धोते की गिरफ्तारी के तुरन्त बाद वहां उपस्थित था। श्री धोते के साथ दो अन्य व्यक्ति श्री देशकर और

श्री आर० के० गांगुली भी गिरफ्तार किये गए । जब संसद् का सत्र चल रहा हो, उस समय इस अधिनियम के अधीन माननीय सदस्य की गिरफ्तारी क्यों हुई ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने " मंत्री महोदय से कहा है कि वे इस बारे में जानकारी दें।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब वकील ने श्री धोते से मिलने की अनुमति मांगी, तो उसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : उससे अगले दिन आने के लिए कहा गया ।

Shri Atal Bihari Vajpayee. (Gwalior) The matter is not so simple. This morning news was received from Nagpur that the family members of Shri Dhote had no information about his where-abouts. If he has been sent to Poona, his family should be informed so that his lawyers could contact him and the case could be filed in the High Court.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I would like to draw your attention towards Rule 229 which is as follows

"When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Third Schedule." I would like to know whether this Rule has been observed in the case of Shri Dhote.

The executive authority has no right to arrest or detain any Member in an unlwaful manner. Even when a Member is arrested in accordance with the law, that fact should be inmated to the Speaker giving detailed reasons and information. It is not enough to say that the arrest has been made under such and such Act; full details there of must be given. Since this has not been done in the present case. I should be permitted to seek leave of the House to move the Motion.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : महोदय, मेरे विचार में आपको इस मामले विशेष की गम्भीरता का पूरा अनुमान नहीं है । आज श्री धोते के विरुद्ध इसका उपयोग किया गया है और सदन को कारणों के बारे में नहीं बताया गया । कल इसका उपयोग सत्ताधारी दल सहित किसी भी सदस्य के विरुद्ध किया जा सकता है । यदि अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में कड़ा रवैया नहीं अपनायेंगें, वे सरकार को भविष्य में इसके कार्यपालिका प्राधिकारी का दुरुपयोग करने से रोकने के लिये कुछ भी करने में असमर्थ होंगे । यह संसद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के ही नहीं संविधान के विरुद्ध कार्य है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : There are two aspects of this matter. One is that the Speaker should be informed about the member's arrest. Since this has not been done the officers concerned are guilty of breach of the privilege of the House.

The other aspect is that when the M.I.S.A. was passed an assurance had been given that it would not be used against political opponents. This assurance has also been thrown to winds in this case.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : महोदय, यह मामला अजीब ढंग का है । श्री धोते को पिछले महीने की 25 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 26 तारीख को मैंने और एक अन्य सदस्य ने नियम 377 के अधीन यह मामला उठाया था और आपने कहा था कि आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । 27 तारीख को भी आपको इस बारे में गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । 28 तारीख को हमें लोक-सभा पत्रादि से पता चला कि लोक-सभा को उसी दिन यह सूचना भेज दी गई थी कि 25 तारीख को श्री धोते की

गिरफ्तारी की गई परन्तु लोक-सभा को 28 तारीख तक ऐसा कोई सन्देश नहीं प्राप्त हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कुछ अन्दाजा है कि 26 तारीख को कितने बजे के करीब उनकी गिरफ्तारी हुई ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : 28 तारीख को आपको इसकी सूचना मिली, जिसमें राज्य के अधिकारियों ने यह बताया कि उन्होंने 25 तारीख को ही सूचना भेज दी थी और 26 तारीख को उन्होंने बेतार संदेश भेजा था किन्तु लोक-सभा को ये सन्देश नहीं मिला । अब लगभग 20 दिन बीत गए हैं । मंत्री महोदय, को एक वक्तव्य देना चाहिए था, किन्तु उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया । गिरफ्तारी के 10 दिनों के भीतर मामले की पुनरीक्षा एक बोर्ड द्वारा की जानी होनी है । यह भी हो चुकी होगी । परन्तु लोक-सभा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मामला क्या है और मामले की पुनरीक्षा का परिणाम क्या रहा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि विशेषाधिकार का प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : : आपको याद होगा 196 : में श्री गोपालन और कई अन्य संसद-सदस्य इसी तरीके से गिरफ्तार किए गए थे । उस दिन जब हमने यह मामला उठाया था, तो आपने भी चिन्ता व्यक्त की थी । आप सरकार ने यह वक्तव्य दिया कि उन्हें तीन या चार दिन बाद सन्देश मिला फिर भी यह नहीं बताया गया कि श्री धोते को किस धारा के अधीन गिरफ्तार किया गया । जिस समय यहां आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम पर चर्चा की जा रही थी उस समय मेरा पेश किया गया एक संशोधन स्वीकार किया गया था कि व्यक्ति की गिरफ्तारी के 7 दिनों के भीतर राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी देगी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है । अत: इस मामले में दो बातों का उल्लंघन किया गया है । यह सरकार कानून के पालन का आदर नहीं करती है ।

श्री वयलार रवि (चिरियिकील) : यह सभा के इस पक्ष या उस पक्ष का प्रश्न नहीं है । श्री धोते इस सदन के सदस्य हैं । नियमों के अधीन सभा सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में सूचना दी जानी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया । यह तो नियमों का खुला उल्लंघन है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : हमने नियमों में यह व्यवस्था की है कि गिरफ्तारी के कारण अवश्य ही दिये जाने चाहिए, इसका पालन नहीं किया गया है । अध्यक्ष महोदय को मालूम करना चाहिए कि इसका पालन क्यों नहीं किया गया और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार भविष्य में इसका पालन करे ।

श्री पीलू मोदी : आपको गृह मंत्रालय को यह आदेश देना चाहिए कि वह 24 घण्टे के अन्दर श्री धोते को सभा में प्रस्तुत करे ।

अध्यक्ष महोदय : नागपुर के पुलिस आयुक्त द्वारा भेजा गया सन्देश मैंने देखा है । यह सन्देश अध्यक्ष, लोक सभा को बेतार द्वारा भेजा गया था और 28 अप्रैल को यह प्राप्त हुआ था । श्री विरेन्द्र सिंह राव

यह प्रस्ताव 26 तारीख की सुबह को लाए। इसका अर्थ यह हुआ कि गिरफ्तारी इससे पहले हुई। मेरी राय में यह बहुत अनुचित है। अध्यक्ष को इसकी सूचना तुरन्त भेजी जानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध मे थोड़ा भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

इस बेतार सन्देश के अतिरिक्त इससे पहले पुलिस आयुक्त ने दिनांक 26 को एक पत्र और लिखा था। वह पत्र साधारण डाक द्वारा 28 तारीख को मिला था, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि घौते को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन से विरूद्ध किया गया, ताकि वह इस तरह का कोई कार्य न कर सकें, जो नागपुर शहर में लोक व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल हो।

इसमें कहा गया है कि श्री घौते को पूना के यखडा सेन्ट्रल जेल में रखा गया है।

ये दो सन्देश मुझे प्राप्त हुए हैं। मंत्री महोदय को पूरा विवरण देना चाहिए। मेरे विचार में हमें उनके वक्तव्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मंत्री महोदय किस समय वक्तव्य देगें?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : यदि आप चाहें तो मैं अपराह्न में वक्तव्य दे सकता हूं।

महोदय, वस्तुत: यह जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। हमने यहां केवल अधिनियम पारित करने का काम किया है। जहां तक आपके पास सूचना भेजने की कार्यवाही और जिम्मेवारी का प्रश्न है, इन सब बातों की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर है। परन्तु यदि आप चाहेगें तो मेरे पास जो भी सूचना होगी, मैं अपराह्न में उसकी जानकारी आपको दूंगा। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) : आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध करने के 7 दिनों के भीतर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजनी पड़ती है। यदि मंत्री महोदय को वह रिपोर्ट मिल गई है, तो वे कारण बताते हुए वत्तव्य दे सकते हैं। यदि उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, तो राज्य सरकार ने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। इस बात की भी छानबीन की जानी चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि नियमों का पालन किया गया या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह एक नया प्रश्न उठाया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह श्री के० सी० पन्त के वक्तव्य से उत्पन्न होता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव मुख्य मंत्री, गृहमंत्री और महाराष्ट्र के पुलिस आयुक्त के विरुद्ध होगा हम चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय इस मामले को स्वत: नियम 277 के अधीन विशेषाधिकार समिति को सौंपे।

अध्यक्ष महोदय : जिस ढंग से यह सब हुआ है उससे मैं खुश नहीं हूं। जहां तक सूचना देने का सम्बन्ध है इसमें अनेक बातें आती हैं, कि राज्य सरकार द्वारा किस तरह की सूचना दी जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि समिति इस मामले की जांच करे कि किस विषय पर सूचना अध्यक्ष के पास भेजी जानी चाहिए। और दूसरे, किस तरह की सूचना भेजी जानी चाहिए। इस मामले में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत जब किसी संसद सदस्य की गिरफ्तारी की जाए, तो मेरी राय मे इसके बाद तत्काल तार आना चाहिए और इसके बाद ब्यौरा बाद में भेजा जा सकता है।

मैं इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को उचित समझता हूं और श्री लिमये सभा की अनुमति ले सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : I ask for the leave of the House.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बेहतर यह होगा कि राज्य सरकार से तथ्य प्राप्त किए जाएं। आप हमें बतला दें कि आप किस प्रकार की सूचना राज्य सरकार से चाहते हैं। हम उसे मंगा लेंगे। यह उचित होगा कि राज्य सरकार के पक्ष को भी सुना जाए। इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय इनकी जांच कर सकते हैं। और यदि वह सन्तुष्ट न हों तो आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह साधारण मामला नहीं है। कागजात मेरे सामने हैं। पुलिस आयुक्त ने जो सूचना भेजी है, उसमें पूरी जानकारी नहीं दी गई है। उसने केवल यह उल्लेख किया है कि सदस्य की गिरफ्तारी किस कानून के अन्तर्गत की गई है और उन्हें कहां निसद्ध किया गया है और अन्त में यह कहा है कि ऐसा उन्हें कुछ कार्यकलापों को करने से रोकने लिए किया गया। किन क्रियाकलापों से ? प्रत्येक मामले में हमें यह बताया जाता है के कि अमुक व्यक्ति धारा 144 या अमुक अपराध के लिए या किसी जलूस का नेतृत्व करते हुए और पुलिस के रोकने पर भी न मानने के कारण गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। यदि सभा चाहे तो मैं इस प्रश्न को सीधे ही विशेषाधिकार समिति को सौंप सकता हूं। यह एक दल या दूसरे दल का प्रश्न नहीं है। इसमें सदस्य को विशेषाधिकार का प्रश्न शामिल है।

श्री के० नारायण राव : अधिनियम के अधीन सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष को सूचित किया जाना चाहिए था। अधिनियम के अन्तर्गत कारण बताना आवश्यक नहीं है।

फिर ये विशेषाधिकार प्रस्ताव किसके विरुद्ध है ? सब बड़ा अस्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : यह सदस्य के विशेषाधिकार का प्रश्न है कल मैं या आप कोई भी इस स्थिति में पड़ सकते हैं।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : आपका निर्णय हम लोगों के लिए अन्तिम है। परन्तु हमें विशेषाधिकार समिति को स्पष्ट बताना चाहिए कि उसे क्या करना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बतला चुका हूं। और फिर समिति की सहायता के लिए मैं सारी कार्यवाही ही समिति को भेज रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभापटल पर पत्र रखे जायें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में वक्तव्य का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ; कृपया बैठ जाइए।

संसद् पर कथित आक्षेप करने वाला 27 अप्रैल, 1973 के 'जुगन्तर' में प्रकाशित लेख

अध्यक्ष महोदय : 8 मई, 1973 को श्री ज्योतिर्मय बसु ने दिनांक 27 अप्रैल 1973 के 'जुगांतर' कलकत्ता में प्रकाशित एक लेख में की गई कुछ टिप्पणियों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की मांग की है। मैंने कहा कि मैं अपनी अनुमति देने से पूर्व समाचारपत्र के सम्पादक से कहूंगा कि उन्हें इस विषय में क्या कहना है।

... सम्पादक से एक पत्र मिला है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि वसु द्वारा यथा उद्धरित वाक्य कांग्रेस और भारतीय साम्यवादी दल के सम्बन्धों ... में एक लेख के दौरान लिखा गया था। यह राजनीतिक संदर्भ में लिखा गया है और इसके माध्यम से जो विचार व्यक्त किये जाने का अभिप्राय था वह यह था कि उन सदस्यों का प्रभाव, जो सोवियत रूस तथा भारत के बीच आमतौर पर घनिष्ठ सम्बन्धों के समर्थक रहे हैं, हाल में पहले की अपेक्षा संसद में कम मालूम हुआ है। किन्तु, मैं श्री वसु, से सहमत हूं कि जिस भाषा में यह वाक्य लिखा गया है वह एक दुर्भाग्य की बात है। मैं आश्वासन देता हूं कि लेखक तथा हमारे आशय से ... बहुत दूर की बात है कि ऐसा सुझाव दें कि हमारी संसद के माननीय सदस्य विदेशी प्रभाव में काम कर रहे हैं। श्री वसु तथा अन्य संसद सदस्यों के विचारों को जो कोई भी आघात पहुंचा है तथा जो इस प्रकार की भावना पैदा हुई है कि सभा का अपमान हुआ है उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं।

जुगांतर के सम्पादक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण तथा खेद को ध्यान में रखते हुए यदि सभा सहमत हो तो इस मामले को समाप्त समझा जाये।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : सभा सहमत है। इस मामले को समाप्त समझा जाता है।

एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के प्रतिवेदनों को लोक सभा के पटल पर रखने में सरकार की असफलता

प्रो० मधु दण्डवते: (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं। मैंने 8 मई, 1973 को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के सभी प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखने में, जैसाकि एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा की धारा 62 के स्पष्ट उपबन्धों में अपेक्षित है, सरकार की असफलता के लिए विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी थी। मुझे कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा इस मामले पर प्रस्तुत टिप्पण की एक प्रति मिली है। इस टिप्पण में कहा गया है कि आयोग ने 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के सम्बन्ध में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के सम्बन्ध में एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग के कार्यकरण तथा प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन 1 दिसम्बर, 1972 को लोकसभा के समक्ष रखा गया। कम्पनी कार्य विभाग के टिप्पण में आगे यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अधीन जांच पड़ताल से तथा रिपोर्ट देने के लिए आयोग को भेजे गये व्यक्तिगत मामलों के सम्बन्ध में आयोग की उन रिपोर्टों की प्रतियां, जिनके सम्बन्ध में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये संसद ग्रन्थालय में रखी जा रही हैं।" मेरा अभिप्राय यह है कि संसद ग्रंथालय को संसद के दोनों सभाओं का स्थानापन्न नहीं माना जा सकता है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के व्यक्तिगत मामलों सम्बन्धी प्रतिवेदन को संसद् के दोनों सभाओं में रखे बिना ग्रन्थालय में रखने से एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 62 में उपबन्धों की आवश्कताओं को पूरा नहीं करता है।

संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त सम्मति ने जिसने विधेयक पर विचार किया है तथा अन्तिम रूप दिया है, विशेष रूप से अपने प्रतिवेदन में कहा है कि अधिनियम की धारा 62 के उपबन्ध से यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखे जायें। आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष ने भी यह सिफारिश की है कि आयोग के सभी प्रतिवेदन प्रकाशित होने चाहिएं। संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत संसद् तथा इसके सदस्यों को कुछ शक्तियां, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो अत्यन्त आवश्यक हैं । ऐसी शक्तियां वही होंगी जो संसद् निर्धारित करेगी और संसद् द्वारा निर्धारित न किये जाने तक संसद्, इसके सदस्यों तथा इसकी समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां वही होंगी जो इंगलैंड की संसद् को प्राप्त हैं।

ब्रिटेन में मोनोपोलीज़ एण्ड रिस्ट्रिक्टिव प्रेक्टिसेस (इन्क्वायरी एण्ड कन्ट्रोल) एक्ट, 1948 के अन्तर्गत सरकार को आयोग के कुछ प्रतिवेदन संसद में पेश न करने की छूट दी गई है। फिर भी एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रथा के रूप में आयोग के सभी प्रतिवेदन अनिवार्यत: संसद् के समक्ष रखे जाते हैं।

इस पृष्ठभूमि में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 62 के आदेशात्मक उपबन्ध का स्पष्टतया उल्लंघन कर एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के सभी प्रतिवेदनों का संसद् में पेश करने में सरकार की असफलता से कम्पनी कार्य मंत्री, श्री एच० आर० गोखले द्वारा सभा के विशेषधिकार का गम्भीर रूप से उल्लंघन किया गया है। अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करने के हित में सभा को विशेषाधिकार की इस उल्लंघन की ओर उचित ध्यान देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय को भी सभा के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय वसु : (डायमंड हार्बर) : विधि मंत्री श्री एच० आर० गोखले, बारबार विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। वह सभा को गुमराह भी कर रहे हैं। यदि उनके स्थान पर मैं होता तो मैंने त्यागपत्र दे दिया होता।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं खेद के साथ कहता हूँ कि कम्पनी कार्य विभाग को दी गई सलाह के आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के बारे में आयोग के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर नहीं रखा गया। प्रतिवेदनों को सभा से छुपाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जायेगी कि प्रतिवेदनों की प्रतियां संसद्-ग्रंथालय में रखी गई। कुछ समय पूर्व राज्य सभा के सभापति ने मुझ से इस विषय पर बातचीत की थी। पहले भिन्न राय दी जाने के कारण मैंने महान्यायवादी से अपनी राय देने का अनुरोध किया। उन्होंने राय दी है कि सभी प्रतिवेदन, जिनमें व्यक्तिगत मामलों सम्बन्धी प्रतिवेदन भी आते हैं, सभा के समक्ष रखे जाने चाहिए। ऐसा शीघ्र किया जायेगा। इन परिस्थितियों में कोई विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

मुझे खेद है कि कानून की गलत व्याख्या के कारण गलतफहमी से चूक हुई है।

Shri Madhu Limaye (Banka): Mr. Speaker, Sir, One a Point of Order. I requext you to kindly give your ruling on the point as to whether a Minister should adhere to the advice tendered by an officer. A Minister is answerable to this House. How officers are concerned. There should be no discussion on officers in this House. We are not concerned with officers, we are concerned with Ministers only.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अपनी गलती मान ली है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखे जाने के बजाय संसद-ग्रंथालय में रखे गये। ग्रंथालय और इस सभा के बीच बहुत अन्तर है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें इस मामले में आगे कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : इस प्रश्न को उठाने का उद्देश्य यह था कि सभा के अधिकार का हनन हुआ है। चूंकि अब मंत्री ने खेद व्यक्त किया है, भविष्य में ऐसा उल्लंघन नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है हम ऐसे व्यक्ति को फांसी नहीं दे सकते जो अपनी गलती मान लेता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(क) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5068/73] ।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-5068/73] ।

(ख) (एक) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-5069/73]।

(दो) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 1971-72 की वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5069/73] ।

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं आन्ध्र प्रदेश के संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटर-गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जी० ओ० एम० संख्या 740 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटरगाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5070/73]

(2) जी० ओ० एम० संख्या 1189, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटरगाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5070/73]।

(3) जी० ओ० एम० संख्या 1296, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटर गाडी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5070/73]।

बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति के मुख्य निष्कर्ष, नूनडीह जीतपुर कोयला खान में हुई दुर्घटना सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन, आदि

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी): मै सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) (एक) बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों के सारांश की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5071/73] ।

(दो) उपयुक्त दस्तावेजों का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5071/73]।

(2) (एक) नूनडीह जीतपुर कोयला खान में 18-3-1973 को हुई दुर्घटना, सम्बन्धी जांच न्यायालय के प्रतिवेदन की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5072/73] ।

(दो) उपयुक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5072/73]।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1973 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाए

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 432 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5073/73]।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 211 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5074/73]।

(दो) सा० सां० नि० 427, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5074/73]।

(तीन) सा० सां० नि० 428 और 429, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5074/73] ।

(चार) सा० सां० नि० 430, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5074/73]।

(पांच) सा० सां० नि० 431, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5074/73]।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 210 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5075/73]।

(4) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यक उपक्रमों के कार्यकरण के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० एल० 5076/73] ।

(5) भारत सरकार द्वारा मई, 1973 में जारी किये गये बाजार ऋणों का परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5077/73] ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और आंध्र प्रदेश पंचायत समितियां और जिला परिषदें अधिनियम 1959 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिंदे): मैं प्रो० शेर सिंह की ओर से सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) चीनी (वर्ष 1972-73 के उत्पादन के लिये कीमत अवधारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 169 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5078/73]।

(दो) मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सं० सां० 176 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5078/73]।

(2) (क) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश पंचायत समिति और जिला परिषद्, अधिनियम, 1959 की धारा 69 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 208 जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद् अथवा उसकी स्थायी समितियों द्वारा पंचायत समिति या जिला परिषद् निधि से स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों का प्रयोजन और रीति विहित करने वाले नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5079/73]।

(दो) जी० ओ० एम० सख्या 299, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अन्तर्गत के स्थापनों से संबंधित नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5079/73]।

(तीन) जी० ओ० एम० संख्या 300, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सांविधिक पंचायत समितियों और जिला परिषदों के विभिन्न संवर्गों के सदस्यों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए सक्षम प्राधिकार से संबंधित नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5079/73]।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाएं राज्य विधान मंडल के समक्ष न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाले तीन विवरण। [ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 5079/73]

2—M367LSS/73

(ग) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाले तीन विवरण । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 5079/73] ।

दामोदर घाटी निगम के 1973-74 के बजट अनुमान

7 **श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)**:मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1973-74 के बजट अनुमानों भाग 1 और 2 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं : [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5080/73] ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

8. **औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० मुखर्जी)** : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(i) (एक) भारतीय सिमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5081/73] ।

(दो) भारतीय सिमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5081/73] ।

(2) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 'इन्दु नगर' उटकमण्ड (तमिल नाडु) के वर्ष 1971-72 के कार्याकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5082/73] ।

(दो) हिन्तुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 'इन्दु नगर' उटकमण्ड (तामिल नाडु) का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5082/73] ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1973-74 के बजट अनुमान और कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

9. **श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटास्वामी)**: मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1972-73 के पुनरीक्षित अनुमानों और वर्ष 1973-74 के बजट अनुमानों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5083/73] ।

2. (एक) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) सा० सां० नि० 140 जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय ऐसे अभ्रक कारखानों और अभ्रक खानों को एक संस्थापन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 6 लागू होगी। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5084/73]।

(ख) कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 298 में प्रकाशित हुई थी। (ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5084/73)।

(ग) सा० सां० नि० 299 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय ऐसे मेसों को स्थापन की श्रेणी में विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिन पर उक्त अधिनियम लागू होगा। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5084/73]।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5084/73)।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

19वां और 20वां प्रतिवेदन

श्री एस० एम० सिद्दय्या : (चामराजनगर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन कक्ष)—मुख्य बड़े पत्तनों, अर्थात् पश्चिमी तट पर बम्बई, मरमागाव और कोचीन तथा पूर्वी पट पर मद्रास, विशाखापत्तनम और कलकत्ता में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन के सम्बन्ध में 19 वां प्रतिवेदन।

(2) गृह मंत्रालय और योजना आयोग—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये योजनागत आवंटन के सम्बन्ध में 20वां प्रतिवेदन।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

पांचवां प्रतिवेदन

श्री पट्टाभिराव (राजामुंद्री) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का 5वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इंडियन एयरलाइन्स के लिए रूस से विमान खरीदने के प्रस्ताव के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 961 के उत्तर में दी गई कतिपय जानकारी के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT *RE* : CERTAIN INFORMATION GIVEN IN ANSWER TO STARRED QUESTION No. 961 REGARDING PROPOSAL TO BUY PLANES FROM SOVIET UNION FOR INDIAN AIRLINES

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय, निदेश 115 के अधीन, मैं 4 मई 1973 को प्रश्न संख्या 961 के उत्तर में तथा इसके कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तरों में पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री द्वारा दिये गये गलत तथा भ्रामक वक्तव्य की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

1. इंडियन एयरलाइन्स के लिये रूस से विमानों की खरीद के बारे में श्री वी० एस० बरुआ और श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 961 का उत्तर देते समय 4 मई, 1973 को पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री डा० कर्ण सिंह ने कहा :

> "रूसी दलों ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया है और इंडियन एयर लाइन्स के साथ अपने टी० यू० 154 और वाई० ए० के० 40 विमान के परिचालन संबंधी तथा तकनीकी पहलुओं पर बातचीत की है। इंडियन एयरलाइन्स के बेड़ा आयोजन अध्ययन अभी चल रहे हैं और उनके प्रस्ताव अगले महीने प्राप्त होने की आशा है।"

इस में तथा वास्तविक स्थिति में अन्तर दिखाई देता है।

मेरे पास इंडियन एयरलाइन्स पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रतिवेदन है जो दिनांक 13 मार्च, 1973 का एक पक्की जिल्द वाला दस्तावेज है। लगता है कि यह दस्तावेज अंतिम प्रतिवेदन है क्योंकि :

(क) यह एक पावती पत्र से आरम्भ होता है जिस पर अध्यक्ष श्री एन० पी० सेन (पृष्ठ 1 और 2) के हस्ताक्षर हैं।

(ख) खरीदे जाने वाले विमान के बारे में विचार किया गया और उनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है (पृष्ठ 62, अध्याय डी० 6, पैरा डी०-6-1 और परिशिष्ट 10, पृष्ठ 83)।

(ग) फाइनल फ्लीट मिक्स सोल्यूशन भी (पृष्ठ 68, अध्याय डी० 9) जिनके बारे में सरकार को निर्णय लेना होगा, प्रतिवेदन में प्रस्ताव किया गया है : चयन की कसौटी (पृष्ठ 72, पैरा डी-11-1) में बताया गया है :

"वर्तमान अध्ययन में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के फ्लीट मिक्स के लिये 9 गुणित वस्तुपूरक समाधानों का उपबन्ध है । एक चयन के लिये संगत विभिन्न प्राचलों का परिणाम निर्धारित किया गया है ।"

यह दस्तावेज अंतिम दस्तावेज प्रतीत होता है और इसे ही अगले महीने पेश किया जायेगा । अतः इंडियन एयर लाइन्स में कोई फ्लीट आयोजन अध्ययन नहीं चल रहा है ।

2. मंत्री महोदय ने यह भी सही नहीं बताया, जब उन्होंने श्री बी० एस० भौरा के के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित बताया :

"जैसा कि मैंने कहा है, कुछ विमानों पर विचार किया जा रहा है और उनमें रूसी विमान भी हैं"।

श्री भौरा ने पूछा था :

"क्या मंत्री महोदय रूसी विमान के अधिक उपयुक्त होने के प्रश्न पर विचार करेंगे जिस के लिये कंक्रीट या तारकोल के धावनपथ की आवश्यकता नहीं है जब कि बोइंग के लिये कंक्रीट या तारकोल के धावनपथ का होना आवश्यक है ।"

इंडियन एयरलाइन्स की रिपोर्ट में केवल एक रूसी विमान पर विचार किया गया है (पृष्ठ 63, पैरा डी-6-5 और परिशिष्ट 10, पृष्ठ 83) और यह टी० यू० 154 विमान है जिसके लिये एक कंक्रीट के धावनपथ का होना आवश्यक है जबकि वाई० ए० के० 40 के लिये ऐसे धावनपथ का होना आवश्यक नहीं है। इंडियन एयरलाइन्स में वाई० ए० के० 40 का उल्लेख भी नहीं किया गया है ।

3. मंत्री महोदय ने उस समय भी स्थिति ठीक नहीं बताई जब उन्होंने बोइंग के साथ पक्षपात के बारे में श्री भागवत झा आजाद द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा "जहां तक मुझे जानकारी है, पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं है ।"

इंडियन एयरलाइन्स के प्रतिवेदन में (पृष्ठ 68, अध्याय डी-9 फ्लीट मिक्स सोल्यूशन और पृष्ठ 83 परिशिष्ट 10) केवल 5 किस्म के विमान खरीदने के प्रश्न पर विचार किया गया है। वे इस प्रकार हैं :—

बोइंग 737	संयुक्त राज्य अमरीका
टी० यू० 154	रूस
मरक्यूर	फ्रांस
फाकर एफ-28	डच
बी० ए०सी०-111	ब्रिटिश

इंडियन एयरलाइन्स के प्रतिवेदन में कुल 9 संभाव्य फ्लीट मिक्स सोल्यूशन का उल्लेख है (पृष्ठ 72, पैरा डी०-11-1 और पृष्ठ 69, पैरा डी-9.5) जिनके बारे में सरकार को निर्णय लेना होगा। ऐसा एक भी सोल्यूशन नहीं है जिस में अतिरिक्त बोइंग 737 खरीदने का प्रस्ताव न हो। इससे बोइंग के साथ पक्षपात की बात सिद्ध हो जाती है।

4. श्री भागवत झा आजाद द्वारा इसी प्रश्न के बारे में पूछे जाने पर मंत्री महोदय डा० कर्ण सिंह ने उत्तर में बताया :

"जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, हाल ही में दो रूसी दल यहां आये थे और एक भारतीय दल अगले सप्ताह मास्को जा रहा है और हम उनके विमान पर विस्तार से तथा उचित ढंग से विचार कर रहे हैं।"

यह भी गलत कथन है। उनके प्रतिवेदन के पैरा एच० 2.1, पृष्ठ 115 से पता चलता है कि इंडियन एयरलाइंस ने निर्णय ले लिया है और टी० यू० 154 की खरीद की निंदा की है। यह बात पैरा एच 2.1 में टी० यू० 154 के साथ बोइंग 737 की तुलना से स्पष्ट हो जाती है।

"केवल टी० यू० 154 के एक फ्लीट मिक्स और हमारे विद्यमान फ्लीट से योजना अवधि के दौरान हमारी मांग पूरी नहीं होगी।"

इंडियन एयरलाइन्स के प्रतिवेदन के अध्याय एच० 1, पृष्ठ 105 से 114 तक में उन पांच विमानों के, जिन को खरीदने का विचार है, वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स के प्रतिवेदन में निम्नलिखित भी शामिल हैं :

परिशिष्ट 9क	पृष्ठ 81
परिशिष्ट 11	पृष्ठ 84 से 97 तक
परिशिष्ट 12	पृष्ठ 98, 100, 102, 104
परिशिष्ट 13 क	पृष्ठ 107क, 107च

आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से टी० यू०-154, बोइंग 737 और मरक्यूर के बीच कई तुलनायें की गई हैं और इन सभी तुलनाओं तथा ग्राफों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बोइंग 737 ही सर्वोत्तम समाधान है; यदि ऐसा है तो इंडियन एयरलाइन्स ने रूसी टी० यू०-154 विमान का मूल्यांकन करने के लिये एक दल क्यों भेजा है जब कि दूसरे विमानों के साथ तुलना करने के बाद इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा चुका है।

5. श्री पी० एम० सैय्यद द्वारा यह अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या बड़े आकार के जेट विमानों पर विचार किया जा रहा है और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उस का अध्ययन किया जा रहा है, पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा "हां"। मंत्री महोदय ने सभा को सूचित किया कि तथाकथित बड़े आकार के तीन जेट विमान हैं। दो अमरीकी और एक यूरोपीय एयर बस।

इंडियन एयरलाइन्स के प्रतिवेदन में (अध्याय एच 3, निष्कर्षों का सारांश पैरा एच 3-4) स्पष्ट रूप से बताया गया है "यहां पर जिन फ्लीट सोल्यूशनों का अध्ययन किया गया है उन में विमान सेवा में बड़े आकार के विमानों के शामिल किये, जाने की संभावना को ध्यान में नहीं रखा गया है।" इंडियन एयरलाइन्स के प्रतिवेदन में अन्यत्र यह स्पष्ट किया गया है (पैरा डी 6.7, पृष्ठ 64) कि इसका कारण यह है कि अमरीका के प्रमुख निर्माता (लाकहैड, डागलास और बोइंग) अपने बड़े आकार के विमान के साथ दो इंजन तैयार करने होंगे। अतः मंत्री महोदय ने गलत तथा भ्रामक बातें कही हैं और उनको स्पष्ट किया जाना चाहिये।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : माननीय सदस्य ने जो 15 मार्च, 1973 के दस्तावेज का उल्लेख किया है, वह इंडियन एयरलाइन्स की पांचवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रस्तावों के संबंध में है। इन प्रस्तावों का अभी मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा अध्ययन किया जाना है। इससे आगामी योजना अवधि में निगम के उद्देश्यों का पता चलता है। इस दस्तावेज में वैकल्पिक विमान समूह का भी उल्लेख है किन्तु इस में किसी विमान समूह विशेष की विशेष रूप से सिफारिश नहीं की गई है। अतः स्पष्ट है कि यह किसी विमान की खरीद के लिये प्रस्ताव नहीं है वास्तव में इस समय इंडियन एयरलाइन्स का एक दल मास्को में रूस के टी०यू० 154 तथा वाई० ए० के० 40 विमानों के ब्योरे तथा उनके आर्थिक पहलू का अध्ययन कर रहा है।

इस दल के वापस आने के पश्चात् तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जानकारी का अध्ययन तथा मूल्यांकन कर लेने के पश्चात् ही निगम इनकी खरीद के लिये अंतिम सिफारिशें सरकार को भेजेगा। आशा है यह सब अगले महीने तक पूरा हो जायगा और उसके पश्चात इस बात का अंतिम निर्णय सरकार लेगी कि कितने तथा किस प्रकार के विमानों की खरीद की जानी है।

यद्यपि टी० यू० 154 को योजना दस्तावेज़ में सम्मिलित कर लिया गया है किन्तु मैंने यह सुझाव दिया है कि वाई० ए० के० 40 को, विशेष रूप से इसका छोटे तथा साधारण धावन पथ के लिए कथित उपयुक्तता की दृष्टि से, पूरी तरह मूल्यांकन किया जाये।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इण्डियन एयरलाइन्स के विमान समूह में 7 बोइंग विमान 2 वर्षों से भी अधिक समय से सन्तोषजनक तथा लाभकारी ढंग से चल रहे हैं। इण्डियन एयरलाइंस ने न केवल विमानों के लिए अपितु अतिरिक्त पुर्जों के पर्याप्त भंडारों में तथा विमानचालकों और अभियन्ताओं के प्रशिक्षण पर भी धन लगाया है। निगम ने इन पहलुओं का, व्यावहारिक स्तर को ध्यान में रखा है। अतः पक्षपात करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कोई, भी निर्णय नहीं लिया गया है तथा रूस के दोनों विमानों पर पूरी तरह तथा निष्पक्ष रूप से विचार किया जायेगा। पूरी जानकारी एकत्र करने के बाद अन्तिम प्रस्ताव किया जायेगा। जानकारी पर्याप्त न होने के कारण एक दल और जानकारी लेने के लिए मास्को गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स ने अपने विमान समूह में बड़े आकार के और जैट विमानों को भी सम्मिलित करने पर विचार किया है तथा इस सम्बन्ध में अध्ययन अभी जारी रहेगा ताकि यदि आवश्यक हो तो उचित समय पर सरकार को आवश्यक एवं उचित अतिरिक्त प्रस्ताव भी भेजे जा सकें। अतः यह स्पष्ट है कि मैंने किसी भी स्तर पर सदन को गलत सूचना नहीं दी है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम इस पर पूरी चर्चा की मांग करते हैं। इसके पीछे कोई बड़ी चाल है और हमें अपनी बात को स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दें।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTERS UNDER RULE 377

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, with your permission. I want to raise an important matter under rule 377. For the last several months, the bridge on Chambal on Bombay-Agra National Highway is lying damaged. A pontoon bridge has been constructed there as a stop-gap arrangement but only small vehicles and not trucks of 16 tons can pass over that bridge. The trucks bound for Delhi have to take a longer route via Jhansi, Kalpi, Itawah and Fatehabad. As a result the cost of transportation has considerably increased. The ferry service started by our Army has since been discontinued.

I would like to know from the transport Minister as to why it is not possible to build a Pontoon bridge over which 16-ton trucks may pass. I would also like to know the time by which permanent bridge will be ready?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): Mr. Speaker, the cause of incident were enquired into and interim arrangements were made. Pontoon bridge was thrown open on 25th April. The matter is very serious and a committee has been set up to inquire into the defects in the bridge on Chambal. Which is thoroughly inquiring into the causes responsible for the collapse of the bridge.

A temporary bridge has been constructed there after procuring whatever pontoons we could get. An alternative route is also there for use by the heavier vehicles. The present bridge will not serve during the rains. Therefore we are trying to secure special type of boats. Thus we are doing our best to keep the traffic running but normal conditions will be restored only when the permanent bridge is completed.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं वाइस एडमिरल बी० ए० सैमसन, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, की फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड के निदेशक बोर्ड पर नियुक्ति की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई भी रिटायर हुआ सरकारी अधिकारी सरकार की अनुमति के बिना गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं कर सकता। अतः मैं यह समझता हूं कि सरकार ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी है।

श्री सैमसन एक बड़े उच्च सुरक्षा अधिकारी थे। वह मजगाँव डाक यार्ड के प्रबन्ध निदेशक थे, जहाँ हम भारतीय समुद्री सेना के लिये लिएन्डर श्रेणी के फ्रिगेटों (युद्ध-पोतों) का निर्माण कर रहे हैं। इस डाकयार्ड ने इस कम्पनी से लिएन्डर फ्रिगेट के लिये करोड़ों

रुपये के बिजली तथा इलैक्ट्रानिकी उपकरण खरीदे हैं । क्या यह उचित है कि सुरक्षा के एक उच्च अधिकारी को जो अपने पद से निवृत्त होने तक इस सामान का खरीददार था, अब पद-निवृत्ति के बाद उसे सप्लाई करने वाली फर्म के, निदेशक बोर्ड में कार्य करने की अनुमति दे दी जाये ।

फिलिप्स एक बहु-राष्ट्रीय निगम है । इस तथ्य के अलावा, सभी प्रकार के पश्चिमी देशों से इसके सम्बन्ध हैं, तथा यह फर्म 'नाटो' तथा 'सेन्टो' ब्लाक के देशों को भी सैनिक सामान की सप्लाई करती है । अतः इस सम्बन्ध में हमारे सुरक्षा पक्ष को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

यह नियुक्ति अगले महीने की जायेगी । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उन्हें किस आधार पर फिलिप्स के निदेशक बोर्ड में औद्योगिक निदेशक के पद पर कार्य करने की अनुमति दी गई है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : डा० एस० डी० शर्मा ने जो इस सदन के सदस्य तथा सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि वह विपक्षी दलों को विशेष रूप से जनसंघ, कांग्रेस (संगठन) तथा भारतीय क्रान्ति दल को हिंसात्मक साधनों से भारत की आन्तरिक सुरक्षा को भंग करने तथा अव्यवस्था फैलाने के लिये षड्यन्त्र करने के लिये उकसा रहा है । किन्तु अमेरिका को भेजे गये भारतीय दूत श्री टी० एन० कौल ने कहा है कि अमेरिका का भारत के साथ कोई आधारभूत संघर्ष नहीं है तथा उन्हें आशा है कि दोनों देशों की समस्याओं को सुगमता से सुलझा लिया जायेगा। किन्तु डा० एस० डी० शर्मा का कहना है कि अमेरिका को 1971 के भारत-पाक युद्ध में नीचा देखना पड़ा था और अब वह उसका बदला लेना चाहता है । हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में भारत के अमेरिका के साथ कैसे सम्बन्ध हैं । भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है ? क्या यह श्री टी० एन० कौल हैं, जो भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा श्री एस० डी० शर्मा हैं, जो भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय सदस्य एक राजनीतिक नेता हैं । वे लोग इस प्रकार का वक्तव्य सदन के बाहर भी देते रहे हैं । यह मामला इस सदन में नहीं उठाया जा सकता । इस सम्बन्ध में आपका क्या निर्णय है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, I oppose the point of order. If in this house there are members who represent Bhartiya Jan Sangh, or Congress (O) or Bhartiya Kranti Dal does it mean that other members have to a right to make charges against us that we are hatching a conspiracy against the Govt. of India in connivance with United States of Amrica. They should either prove their charge or withdraw it.

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक श्री मधुलिमये की बात का सम्बन्ध है उन्होंने इस सदन के एक माननीय सदस्य के सम्बन्ध में कहा था, जबकि डा० शंकर दयाल शर्मा एक दल के

नेता हैं, एक दल के सभापति हैं, । उनके अपने विचार हैं वे सदन के बाहर भी वक्तव्य देते हैं, वे कुछ भी कह सकते हैं ।

Shri Nar Singh Narain Pandey (Gorakhpur): The long awaited report of Bhargava Commission on nationalisation of Sugar Mills has been received. The Government should give a statement in this regard as to what is their opinion about nationalisation of Sugar Mills. The whole country is very anxious to know it.

Mr. Speaker : You can ask for it during the debate on the subject today.

कराधान विधि संशोधन विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं, श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री सैयद अहमद आगा
(2) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
(3) श्री छत्रपति अम्बेश
(4) श्री भागवत झा आजाद
(5) श्री के० बालतण्डायुतम
(6) श्री धरणीधर बसुमतारी
(7) श्री ज्योतिर्मय बसु
(8) श्री त्रिदिब चौधरी
(9) श्री एस० आर० दामानी
(10) श्री के० आर० गणेश
(11) श्री मणिराम गोदरा
(12) श्री डी० पी० जदेजा
(13) श्री सतपाल कपूर
(14) श्रीमती शीला कौल
(15) श्री महाराज सिंह
(16) श्री पी० जी० मावलंकर
(17) श्री अमृत नाहटा

(18) श्री एच० एम० पटेल

(19) श्री एस० वी० पी० पट्टाभिराम राव

(20) श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले

(21) श्री भोला राउत

(22) श्री एन० के० पी० साल्वे

(23) श्री बसंत साठे

(24) श्री ईरा सैझियान

(25) श्री के० के० शेटी

(26) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह

(27) श्री सी० एम० स्टीफन

(28) श्री आर० वी० स्वामीनाथन

(29) श्री वी० तुलसीराम; और

(30) श्री यशवन्तराव चव्हाण

और उसे अगले सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा सुझाव है कि यदि आप तथा विरोधी दल के नेता सहमत हों तो यह विधेयक तथा दूसरा विधेयक भी, जिसे संयुक्त समिति को भेजा जा रहा है, बिना चर्चा के प्रवर समिति को भेज दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इस पर सहमति हो चुकी है ।

प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 30 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री सैयद अहमद आगा

(2) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

(3) श्री छत्रपति अम्बेश

(4) श्री भागवत झा आजाद

(5) श्री के० बालतण्डायुतम

(6) श्री धरणी धर बसुमतारी

(7) श्री ज्योतिर्मय बसु

(8) श्री त्रिदिब चौधरी

(9) श्री एस० आर० दामानी

(10) श्री के० आर० गणेश

(11) श्री मणिराम गोदरा
(12) श्री डी० जी० जदेजा
(13) श्री सतपाल कपूर
(14) श्रीमती शीला कौल
(15) श्री महाराज सिंह
(16) श्री पी० जी० मावलंकर
(17) श्री अमृत नाहटा
(18) श्री एच० एम० पटेल
(19) श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव
(20) श्री आर० बालकृष्ण पिल्लै
(21) श्री भोला राउत
(22) श्री एन० के० पी० साल्वे
(23) श्री बसन्त साठे
(24) श्री ईश सेझियान
(25) श्री के० के० शेटी
(26) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
(27) श्री सी० एम० स्टीफन
(28) श्री आर० वी० स्वामीनाथन
(29) श्री वी० तुलसीराम ; और
(30) श्री यशवन्तराव चव्हाण

और उसे अगले सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

बागान श्रम (संशोधन) विधेयक

PLANTATION LABOUR (AMENDME

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 9 मई, 1973 की अपनी बैठक में स्वीकार किये गये प्रस्ताव में की गई और 10 मई, 1973 को इस सभा को भेजी गयी, इस सिफारिश

से सहमत है कि यह सभा बागान श्रम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हों, और संकल्प करती है कि उक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जायें, अर्थात् :—

(1) श्री अजीज इमाम
(2) श्री टी० बालकृष्णैया
(3) श्री सुन्दर लाल भाटिया
(4) श्री छुट्टन लाल
(5) श्री बीरेन दत्त
(6) श्री नागेश्वर द्विवेदी
(7) श्रीमती गंगा देवी
(8) श्री एस० बी० गिरि
(9) श्री जे० मैथा गौडर
(10) श्री हुकम चन्द कछवाय
(11) श्री लीलाधर कटकी
(12) श्री राजा कुलकर्णी
(13) श्री मधु लिमये
(14) श्री के० मालन्ना
(15) श्री टुना ओरांवं
(16) श्री दामोदर पाण्डेय
(17) श्री राम सहाय पाण्डेय
(18) श्री प्रताप सिंह
(19) श्री नटवर लाल पटेल
(20) श्री एस० एल० पेजे
(21) श्री वायालार रवि
(22) श्री के० रामकृष्ण रेड्डी
(23) श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
(24) श्री देवेन्द्र सत्पथी
(25) श्री रानेन सेन
(26) श्री शिवकुमार शास्त्री
(27) श्री सोमचन्द सौलंकी
(28) श्री जी० वेंकटस्वामी
(29) श्री अमरनाथ विद्यालंकार
(30) श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 9 मई, 1973 को अपनी बैठक में स्वीकार किये गये प्रस्ताव में की गई और 10 मई, 1973 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा बागान श्रम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है, कि उक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जायें अर्थात् :—

(1) श्री अजीज इमाम
(2) श्री टी० बालकृष्णैया
(3) श्री रघुनाथ लाल भाटिया
(4) श्री छुट्टन लाल
(5) श्री वीरेन दत्त
(6) श्री नागेश्वर द्विवेदी
(7) श्रीमती गंगा देवी
(8) श्री एस० बी० गिरि
(9) श्री जे० मैथा गौडर
(10) श्री हुकम चन्द कछवाय
(11) श्री लीलाधर कटकी
(12) श्री राजा कुलकर्णी
(13) श्री मधु लिमये
(14) श्री के० मालन्ना
(15) श्री टुना ओरांवं
(16) श्री दामोदर पाण्डेय
(17) श्री राम सहाय पाण्डेय
(18) श्री प्रताप सिंह
(19) श्री नटवर लाल पटेल
(20) श्री एस० एल० पेजे
(21) श्री वायालार रवि
(22) श्री के० रामकृष्ण रेड्डी
(23) श्री इब्राहिम सुलेमान सेट
(24) श्री देवेन्द्र सत्पथी
(25) श्री रानेन सेन
(26) श्री शिवकुमार शास्त्री
(27) श्री सोम चन्द सौलंकी

(28) श्री जी० वेंकटस्वामी

(29) श्री अमरनाथ विद्यालंकार

(30) श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

शिक्षु (संशोधन) विधेयक

APPRENTICES (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय: श्री बीरेन दत्त ।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मंत्री महोदय चाहते हैं कि इंजीनियर/तकनीशियन अनिवार्य रूप से पंजीकरण करायें । इस विधेयक में कहा गया है कि उनको किन्हीं विशेष विषयों में और अधिक योग्य बनाये जाने की आवश्यकता है । परन्तु क्या कोई ऐसा संकेत भी दिया गया है कि इन इंजीनियरों को डिग्री और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् रोजगार का आश्वासन दिया जायेगा ।

प्रस्तावित संशोधन में उनको बोनस मांगने के अधिकार से भी वंचित रखा गया है । इसके अतिरिक्त अनुशासन के नाम पर एक सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रशिक्षणार्थियों को पालन करना पड़ेगा । क्या शिक्षुओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये नियुक्ति अधिकारियों के अतिरिक्त कोई अन्य एजेंसी नहीं हो सकती ।

हम जानते हैं कि सभी बड़ी स्थापनाओं में ऐसे लोगों को ही शिक्षु नियुक्त किया जाता है जोकि उनके रिश्तेदार इत्यादि होते हैं । वे वास्तव में प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं करते, किन्तु फिर भी उन्हें प्रशिक्षित शिक्षुओं के रूप में पास करके उन्हें रोजगार दिया जाता है । परन्तु बेचारे गरीब इंजीनियरों के पास डिगरियां होते हुये भी, उन्हें प्रशिक्षण पूरा करना पड़ता है और प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् उन्हें रोजगार दिलाने की कोई गारन्टी नहीं दी जाती । अतः नियोक्ताओं को इन इंजीनियरों को शिक्षुओं के रूप में रखकर और उन्हें बिना कोई वृत्ति का और उत्पादन का लाभ दिये उनका शोषण करने का अधिकार देने की क्या आवश्यकता थी ।

इस विधेयक द्वारा इन्जीनियरों और डिप्लोमाधारियों को रोजगार के लिये क्या गारन्टी दी गई है जिस उद्देश्य के लिए यह विधेयक पेश किया गया है? कोई ऐसी गारन्टी नहीं है कि प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् उन्हें उसी उद्योग अथवा उसी व्यवसाय में लगा लिया जायेगा । यदि स्थिति इस प्रकार है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक को पेश करने की क्या आवश्यकता थी । मेरे विचार में इस विधेयक से स्नातकों और ऐसे तकनीशियनों को, जिन्होंने पहले ही अपनी परीक्षायें पास कर ली हैं और जिनके पास डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा प्रमाण पत्र हैं, रोजगार मिलने में और विलम्ब होगा ।

सरकार को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए जो वास्तव में शिक्षुओं की सहायता कर सके ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : इस विधेयक में कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं रखी गई है कि रोजगार प्राप्त करने से पहले स्नातक शिक्षुओं के रूप में कार्य करें । उनके केवल शिक्षु बनने का रास्ता खोला जा रहा है । अतः इस विधेयक का उद्देश्य उन्हें इस योग्य बनाना है न कि विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों को इस बात के लिये बाध्य करना कि वे स्नातकों को अधिक व्यावहारिक अनुभव दिलाने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण दें ।

प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका दी जायेगी जोकि सरकार और नियोक्ता द्वारा 50 : 50 के अनुपात में बांटी जायेगी । नियोक्ता शिक्षुओं के बदले में अपने यहां एक निर्धारित संख्या तक स्नातक इंजीनियर और डिप्लोमाधारियों को नियुक्त करेंगे । प्रशिक्षण स्तर, पारिश्रमिक वृत्तिका की दर इत्यादि पर सरकार द्वारा नियमानुसार उद्योग और केन्द्रीय प्रशिक्षण परिषद् के परामर्श से निश्चित की जायेगी । अधिनियम में ढांचे सम्बन्धी अनुवर्ती परिवर्तन भी किये जायेंगे और स्नातक इंजीनियर डिप्लोमाधारी शिक्षुओं के लिये अलग प्रशिक्षण नियम निर्धारित किये जायेंगे ।

वर्तमान संशोधन मुख्य और गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के लिये है इस दृष्टि से कि सरकारी क्षेत्र इसे कैसे लागू किया जाये इसका विस्तार क्षेत्र बढ़ाने पर आगे विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि शिक्षु अधिनियम, 1961, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2 से खण्ड 9 तक ले रहा हूं । इन खण्डों के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड 2 से 9 तक विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 9 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 10 । इसके सम्बन्ध में एक संशोधन है । श्री रामसिंह भाई वर्मा उसका प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10 *was added to the Bill.*

खण्ड 11 से 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 11 *to* 24 *were added to the Bill.*

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1972" के स्थान पर "1973" प्रतिस्थापित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, "1972" के स्थान पर "1973" प्रतिस्थापित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, *as amended was added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : अधिनियमन सूत्र के सम्बन्ध में एक संशोधन है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "तेईसवें" के स्थान पर "चौबीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "तेइसवें" के स्थान पर "चौबीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने के बारे में चर्चा

DISCUSSION *RE*: LOCATION OF TRACTOR FACTORY IN PRATAPGARH

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : प्रपातगढ़ में एक ट्रैक्टर कारखाना स्थापति करने के उद्देश्य से मैसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इण्डिया लिमिटेड को 13 अक्तूबर, 1970 को एक आशयपत्र दिया गया था। उन्होंने भूमि और विद्युत सम्बन्धी सुविधायें मांगी थी। इसके पश्चात् इसे एक आवासीय कालोनी के पास स्थापित करने की मांग स्वीकार की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करना है।

परन्तु बाद में वे इस कारखाने को पिछड़े क्षेत्र में स्थापित नहीं करना चाहते थे। वे इसे लखनऊ में स्थापति करना चाहते थे। दिसम्बर, 1972 में निर्माताओं ने सरकार को आश्वासन दिया कि परियोजना की व्यौरेवार योजना बनाने का कार्य 6 महीने में पूरा होने की आशा है तथा 12 महीने के अन्दर उस पर कार्य आरम्भ हो जायगा। तत्पश्चात् आशयपत्र को एक औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया। दिसम्बर, 1972 में सरकार को विश्वास था कि छः महीने के अन्दर कार्य आरम्भ हो जाएगा और एक वर्ष में उत्पादन होने लगेगा, किन्तु इस वर्ष सरकार इस बात से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने उनको 500 अर्धविघटित ट्रैक्टर आयात करने की अनुमति दे दी किन्तु उनके विभिन्न हिस्सों के संयोजन के लिए भूमि व भवन आदि की कोई व्यवस्था नहीं की। सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके उन क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, किन्तु जब तक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक यह संभव नहीं है। ऐसा लगता है सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की अपनी नीति को गम्भीरता पूर्वक क्रियान्वित नहीं करना चाहती अथवा इस मामले में ही कुछ दाल में काला है।

अप्रैल 1972 में तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया था कि प्रताप गढ़ में एक ट्रैक्टर कारखाना लगाया जायगा और इसी आधार पर एक आशयपत्र भी जारी किया गया था, किन्तु इसके पश्चात मंत्री महोदय पर कुछ राजनीतिक दबाव डाला गया और उन्होंने सोचा कि यह कारखाना उन्नाव में स्थापित किया जाये फिर यह बताया गया कि इस कारखाने को वास्तव में लखनऊ ले जाया जा रहा है क्योंकि दल की भी यही राय है इस प्रकार इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का नाम भी लिया गया इस सबंध में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री से मिला । उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस ट्रैक्टर कारखाने को प्रतापगढ़ से बाहर ले जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश-सरकार की सामर्थ्य के अनुसार वे इसके लिये सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे किन्तु कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है जो इस कारखाने को प्रतापगढ़ में स्थापित करने के रास्ते में रुकावट डाल रहीं है। इस संबंध में स्वयं प्रधान मंत्री ने तथा तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया । इतना सब होते हुए भी मुझे लगता है कि मामला अभी भी विवादास्पद बना हुआ है । अभी भी इसमें संदेह है कि कारखाना स्थापित होगा भी या नहीं । मंत्री महोदय को चाहिए कि वह स्थिति स्पष्ट करें और इस सभा को विश्वास दिलाएं कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जायगा, इन क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगी और प्रतापगढ़ में स्थापित किया जाने वाला ट्रैक्टर कारखाना किसी भी हालत में अन्यत्र नहीं लगाया जायेगा ।

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : लाइसेंस इस इरादे से जारी किया गया था कि यह ट्रैक्टर कारखाना किसी पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, दि ओटोमोबिल प्रोडक्टस आफ इंडिया ने इस कारखाने को प्रतापगड़ में स्थापित करना स्वीकार कर लिया था और इसी शर्त पर आशयपत्र जारी किया था परन्तु बाद में जब आशयपत्र की अन्य शर्तें स्पष्ट की गईं तो उसे एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया वे हमें विश्वास दिलाते रहे हैं कि वे इस परियोजना पर कार्यवाही करेंगे और इसें छः मास के भीतर पूरा करके एक वर्ष के भीतर काम आरम्भ कर देंगे। इस बीच अप्रैल, 1973 में उन्होंने इस कारखाने को लखनऊ में स्थापित करने की अनुमति मांगी, उन्होंने लखनऊ में कारखाना लगाने के कुछ लाभ बताए हैं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है। न ही इस बात की कोई आशंका होनी चाहिए कि इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाएगा। किन्तु साथ ही केवल औद्योगिक लाइसेंस देने का यह अभिप्राय नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को उद्योग आरम्भ करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अधिक से अधिक हम लाइसेंस रद्द कर सकते हैं और ऐसा करने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। इस मामले में हम उनको यह कह सकते हैं कि वे इस कारखाने को प्रतापगढ़ से न हटाऐं। किन्तु यह आश्वासन देना संभव नहीं है कि कारखाना आरम्भ हो जाएगा। माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभी बुनियादी सुविधायें जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर पर्याप्त दबाव डाला जाए क्योंकि जब तक किसी पिछड़े क्षेत्र में ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक कुछ एक रियायतें देने से ही वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता है। मैं भी अपनी ओर से राज्य सरकार से इस ओर शीघ्र ध्यान देने के लिए कहूंगा। आशा है कि माननीय सदस्य मेरे इस आश्वासन से संतुष्ट हो गये होंगे कि कारखाने को अन्यत्र हटाने के अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा।

आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी और उनकी कीमतों में असाधारण वृद्धि के बारे मे चर्चा

DISCUSSION *Re*: ACUTE SHORTAGE AND ABNORMAL RISE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

Shri B.S. Bhaura (Bhatinda): It is an important topic.

Government has totally failed to control the prices. There is acute shortage of essential commodities. The peasant in Punjab is neither getting power nor diesel nor fertilizers. It was demanded that wagons which were sent to Punjab for carrying foodgrains to other parts of the country should carry coal to Punjab in return. But this has not been done.

The reactionary forces in collusion with high Govt. Officers are bent on making the take-over of the wholesale trade of foodgrains a failure. The policy of take over cannot be implemented with the bureaucratic machinery. It should be set right. These officers are giving protection to blackmarketeers.

Government have found themselves helpless in controlling the prices. Government should also take over other industries like sugar, vanaspati etc. A public distribution system with the help of Committees should be enforced, and a detailed statement in this regard should be presented to the House.

Shri K. D. Malaviya (Dumariyaganj) : The problem of abnormal rise in prices of essential commodities is a national problem and there are specific reasons for this rise in prices. The wholesale traders have a habit of creating artificial scarcity of goods, and the natural calamities. aggravate the difficulties. In order to face the situation, Government has to take a certain basic decisions which help the smooth functioning of distribution system. Until there is people's participation in the distribution system and the means of production are completely under the control of Government, the entire system would not work properly. The imbalance between the production and the distribution has to be removed. Nevertheless, we have to reckon with the whole position of scarcity condition and of imbalance in prices.

There is scarcity of Kerosene and diesel. The system of distribution by wholesale dealers will not serve the purpose in the present conditions. More and more attention should be paid towards improvement of the distribution system.

वितरण की समस्या का इस तथ्य के आधार पर समाधान किया जाता है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कम है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है, अभी तक उत्पादन का सिद्धांत यह रहा है कि इसे कम ही रखा जाए। प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं की कमी का मुख्य कारण यह है कि उनके उत्पादन पर कुछ ही व्यक्तियों का नियंत्रण रहता है। अतः वितरण की समस्या हल करने में हमें सरकार के साथ सहयोग करना होगा। जहां तक मिट्टी के तेल का संबन्ध है, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में या महाराष्ट्र के कुछ भागों में इसके वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्योंकि इन क्षेत्रों में शक्ति के अन्य साधन नहीं है। अपेक्षाकृत अधिक-समृद्ध क्षेत्रों में वितरण की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री डी० के० पंडा (भंज नगर) : यह सिद्धांत कि उत्पादन बढ़ने से कीमतें कम हो जाएगी, स्वयं सरकारी आकड़ों से झूठा सिद्ध हो चुका है। कीमतों में वृद्धि का एक मुख्य कारण यह है कि बड़े-बड़े थोक पूंजीपति व्यापारियों ने सट्टेबाजी की वाणिज्यिक पूंजी की भारी राशि कृषि में झोंक दी।

हमारी मांग थी कि अनाज के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाए किन्तु सरकार ने केवल गेंहू का व्यापार अपने हाथ में लिया। इस प्रकार अनाज का बहुत बड़ा भाग जमाखोरों चोर-बाजारी करने वालों तथा सट्टेबाजों के पास ही रहेगा। अतः अनाज के पूरे राष्ट्रीयकरण के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। सीमित मात्रा में अनाज के व्यापार को हाथ में लेने के बाद से घटिया किस्म के अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं। जो जमाखोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं उनके विरुध आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करे जाये। यदि कीमतें भी इसी प्रकार बढ़ती रही तो सारी योजना ही व्यर्थ हो जायगी। काला धन नहीं निकाला जा रहा है। विमुद्रीकरण नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त घाटे की अर्थव्यवस्था से भी कीमतों की वृद्धि में मदद मिलती है, वितरण प्रणाली को सुदृढ़ नहीं किया गया है। खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बाद जमाखोर और मुनाफाखोर खाद्यान्नों एवं वस्तुओं को उचित मूल्य की दुकानों में बेचने की कोशिश करेंगे। अतः सरकार को चीनी, कपड़ा और दवा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

मैं कपड़े के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। 25 प्रतिशत मोटा कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों द्वारा तैयार किया जाना आपेक्षित है, किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। मोटे कपड़े की कीमतें बढ़कर दुगनी तिगुनी हो गई हैं। इसी प्रकार स्टेण्डर्ड और मीडियम कपड़े की कीमतें भी दुगनी हो गयी हैं। इसलिये मेरा विचार है कि इन कपड़ा मिलों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाय।

जहां तक बनस्पति का संबंध है, यह स्पष्ट है कि इसके लिये हमें बनस्पति निर्माता संघ पर निर्भर रहना पड़ता है। बनस्पति के अभाव एवं उसकी मूल्य वृद्धि के लिए मिल मालिक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। यह कहा गया कि दिल्ली क्लाथ मिल के रसायन कारखाने में हड़ताल होने के कारण उत्पादन रुक गया, बनस्पति के उत्पादन में कमी आने का यह एक कारण हो सकता है। किन्तु मिल मालिकों ने तालाबन्दी की घोषणा करके उत्पादन बंद कर दिया। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

अब मैं खाद्यान्नों की खरीद के प्रश्न पर आता हूं। हमने गेहूं पर श्रेणीकृत 'लेवी' लगाने की मांग की है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। श्रेणींकृत 'लेवी' लगाई जानी चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी खुदरा व्यापारियों, जमाखोरों और मुनाफाखोंरों से मिले हुए हैं। उन मुनाफाखोंरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाहीं की जानी चाहिए।

उड़ीसा में लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। राउरकेला, गंजाम तथा मयूरभंज तीनों जिलों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है तथा खाद्यान्नों का अभाव है। मूल्य बढ़ाने के बाबजूद धागे का अभाव है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हमने सार्वजनिक समितियां गठित करने की मांग की है। इन समितियों में उन सदस्यों को लिया जाना चाहिए जो पहले ही गेहूं के थौक व्यापार को सरकारी अधिकार में जाने के पक्ष में हों।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : वित्त मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 1972 की तुलना में मार्च, 1973 तक सभी वस्तुओं के मूल्यों में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अनाज में 17 प्रतिशत, मोटे अनाज में 19 प्रतिशत, बाजरा में 12 प्रतिशत और औद्योगिक वस्तुओं में 30 प्रतिशत की वृद्धि

हो गई है। अर्थशास्त्रियों ने हमें बताया है कि कृषि प्रधान देश में विकास के समय मूल्यों में वृद्धि होती ही रहती है लेकिन उनका कहना है कि यह वृद्धि धीमी और स्थिर गति से होती रहेगी, हमें यह बताया जाये कि हमारे जैसे देश में वृद्धि का स्तर कितना प्रतिशत रहेगा। 1962 तक मूल्य वृद्धि 6 प्रतिशत थी। 1962 के पश्चात मूल्यों में असाधारण वृद्धि होनी आरंभ हुई।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन मूल्यों को रोकने तथा निवारक कार्यवाही करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं किन्तु सरकार उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रही है। श्री मोदी के विरुद्ध आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही क्यों नही की गई? अब चूंकि सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं इसलिये सरकार को व्यवस्था तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए तथा शीघ्र और साहसपूर्ण निर्णय लेने चाहिए।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था के समानान्तर काले धन का व्यापार चल रहा है। जब तक सरकार करोड़ों रुपयों के काले धन को, जो इस समय प्रचलन में है, नहीं रोकती तब तक मूल्य कम नहीं होंगे। अतः काले धन को रोका ही जाना चाहिए भले ही उसके लिये वांचू समिति की सिफारिश के अनुसार विमुद्रीकरण ही क्यों न करना पड़े। वांचू समिति ने कर ढ़ांचे, वित्तीय नीति तथा काले धन के संबंध में कई सिफारिशे की है। वांचू समिति की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पैरा प्रशासन के बारे में है। जब तक प्रशासन को सुदृढ़ नहीं किया जाता तब तक वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

यदि देश में वस्तुओं की कमी है तो उन्हें उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से क्यों नहीं बेचा जाता? सरकार को उचित मूल्य की दुकानें खोलनी चाहिए जहां लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं।

कृषकों से कहा गया है कि वे 76 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार को गेहूं बेचें। निस्सन्देह मैं इसका समर्थन करता हूं किन्तु उन्हें मोटा कपड़ा, उर्वरक तथा मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध कराने के बारे में सरकार क्या कहती है?

सबसे पहले कपड़े का प्रबंध सरकारी अधिकार में लिया जाना चाहिए। चीनी का व्यापार तो बहुत पहले ही सरकार के हांथ में आ जाना चाहिए था। चीनी और सीमेंन्ट को उचित दर की दुकानों पर राशन द्वारा उपलब्ध कराया जाय। सरकार ने ईटों, सीमेंन्ट और इस्पात की कीमतें निर्धारित की है, मूल्य निर्धारित किये जाने पर वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं होती है। चाहे पर्याप्त अनाज हो, चाहे हरित क्रांति सफल हो, ये उचित मूल्य की दुकानें बन्द नहीं की जानी चाहिएं।

प्रशासन द्वारा कठोर उपाय किये जाने चाहिएं और उन्हें उन लोगों पर लागू किया जाना चाहिए जिन्होंने अपने पास हजारों क्विंटल गेहूं रखा हुआ है। कास्टिक सोडा जो कि साबुन बनाने की मुख्य वस्तु है, समाज के सभी वर्गों में वितरित क्यों नहीं किया जाता है। मैंने कई बार इस सभा से मांग की है कि इस देश में उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार सरकार द्वारा अपने हांथ में लिया जाना चाहिए।

कोयला उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है और कोयले का राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व कोयला उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? सरकार को कोयला उपलब्ध कराने के लिये दीर्घ-कालीन और अल्पकालीन उपाय करने चाहिएं।

अंत में मै यह कहूंगा कि यदि सरकार मूल्यों में कमी करना चाहती है तो उसे प्रशासन, काले धन, तथा अवास्तविक उचित मूल्य की दुकानों आदि सभी के बारे में कठोर कार्यवाही करनी होगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सभी आवश्यक वस्तुओं, विषेशकर अनाज, की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और अधिकांश लोग उन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं । महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और गुजरात राज्यों के जो अकाल की चपेट में हैं अधिकांश भागों में अनाज उपलब्ध नहीं है । लाखों ग्रामीण अनाज के लिये आन्दोलन कर रहे हैं लेकिन उन्हें केन्द्रीय सुरक्षा बल तथा पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ता है; उन पर गोलियां चलाई जाती हैं ।

सरकार ने ऊंचे स्वर में घोषणा की थी कि वह अनाज का व्यापार अपने हाथ में ले रही है और सबसे पहले गेहूं का थोक व्यापार सरकारी अधिकार में लिया गया है । लेकिन यहां उल्टी बात हो रही है । केवल गरीब किसान ही बाजार में अपना माल बेचने आते हैं और सरकार उनसे माल खरीद लेती है । बड़े बड़े जमीदारों को सरकार हाथ नहीं लगा रही है । अब वस्तुओं का अकाल पड़ गया है । सरकार का कहना है कि 11 करोड़ 30 लाख व्यक्ति सूखे से प्रभावित हैं । महाराष्ट्र और गुजरात में भूख से मृत्यु होने के समाचार मिल रहे हैं । इस प्रकार सारी स्थिति चिंताजनक है और स्थिति पर काला बाजार करने वाले बड़े बड़े जमीदारों, एकाधिकारियों और जमाखोरों का नियंत्रण है । सरकार उनके विरुद्ध कभी कुछ कार्यवाही नहीं करेगी । चावल और गेहूं ही नहीं बल्कि सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और अधिकांश वस्तुएं तो बाजार में मिलती ही नहीं ।

वितरण, वसूली तथा अन्य सभी प्रशासन प्रणालियां अस्त-व्यस्त दशा में हैं । सरकार ने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया है लेकिन वह जो बिक्री योग्य है तथा जो बड़े जमीदारों के स्टाक से उपलब्ध है, उसे नहीं खरीदती । अधिक संख्या में उचित मूल्य की दुकाने खोली जानी चाहिएं जिन पर अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध की जानी चाहिएं। सरकारी नियंत्रण, देखभाल और निरीक्षण को जनता के विभिन्न वर्गों और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की समितियां गठित करके सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार चावल, गेहूं आदि के संबंध में राज्य सरकारों को दिये गये अपने वचनों का पालन नहीं कर रही है । पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में गेहूं और चावल की पूरी मात्रा कभी नहीं दी गयी । यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सर्वत्र विद्यमान है ।

पहले यह सुझाव दिया गया था कि जीवन निर्वाह स्तर के बारे में अनुमान लगाने के त्रुटिपूर्ण ढ़ंग के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए लेकिन सरकार ने यह बात नहीं मानी । नवम्बर, 1972 से फरवरी, 1973 तक मूल्य सुचकांक में कमी दिखाई गई है किन्तु अनुमान लगाने का यह ढंग दोषपूर्ण है । यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में सभी दलों से संबंधित कार्मिक संघों ने एक स्वर में यह मांग की है कि सारे मामले की जांच करने के लिये एक समिति गठित की जाय ताकि श्रमिकों के साथ धोखा नहीं किया जा सके ।

कपड़ा मिलें और बुनाई मिलें मोटा कपड़ा तैयार करने की मात्रा का पालन नहीं कर रहीं है । ये मिलें मोटा कपड़ा तैयार करने की अपेक्षा अधिक उपयुक्त यह समझती है कि जुर्माना दे दिया जाये । इसके अतिरिक्त लाखों हथकरघा बुनकर भूखे मर रहे हैं । सारे देश में कई लाख हथकरघा बुनकर हैं, केवल पश्चिम बंगाल में ही चार-पांच लाख हथकरघा बुनकर हैं । यह समाचार है कि मिलों में बहुत धागा पड़ा हुआ है किन्तु बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में धागा नहीं मिल रहा है और वे अपना जीवन निर्वाह करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ।

राष्ट्रीयकरण से भी समस्याएं हल नहीं हो सकती हालांकि हम इसका समर्थन करते हैं। महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि योजनाओं को कार्यान्वित करने की व्यवस्था भी ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि राष्ट्रीयकरण के बाद काम ठीक ढंग से हो सके। किन्तु इस मशीनरी पर नौकरशाही का अधिकार है, सरकार भी बूर्जुआ लोगों की प्रतिनिधि है।

इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिएं कि अकाल से पीड़ित लोगों को कपड़े की पर्याप्त सप्लाई हो।

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : तेल, चीनी और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ता न केवल बेचैन हैं अपितु उनका जीवन दूभर हो गया है तथा उन्हें परिवार का खर्च चलाने में कठिनाई हो रही है। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और सभी दलों के नेताओं तथा सरकार के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होना चाहिए जहां इस विषय पर मुक्त रूप से वाद-विवाद हो और परस्पर परामर्श से कुछ निर्णय लिए जाएं तथा मूल्य वृद्धि की समस्या का समाधान निकाला जाए।

मूल्यों में वृद्धि एक राष्ट्रीय समस्या है। हम सभी को इकट्ठे होकर इस वृद्धि को रोकने के लिए उपाय करने चाहिएं। एक राष्ट्रीय मूल्य ढांचा तैयार किया जाये। आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारी जनता में दूसरों का दुःख अनुभव करने की मानवीय भावना हो चाहे किसी को थोड़ा सा ही कष्ट हो हमारी उसके प्रति सहानुभूति होनी आवश्यक है। जब तक ठोस कार्यवाही नहीं की जाती तब तक काला बाजार करने वालों और जमाखोरों की चांदी रहेगी, हम सभी को इकट्ठे मिलकर कीमतों में वृद्धि को रोकना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Scarcity of essential commodities and abnormal rise in their prices are symptoms of a deep economic crisis. At the time of take-over of wholesale trade in wheat the Government claimed it would decreased prices with increase in the availability of wheat, but, both these objectives have not been fulfilled.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

(SHRI K. N. TEWARY *in the Chair*)

The allegation that farmers are not bringing their food grains to Government purchase Centres due to instigation from political parties is baseless. The farmers have become wise. So long they can retain their produce with them. They will do so. The Government can persuade the Farmers to bring out their stocks by increasing procurement price.

Now it is proposed to impose levy, imposition of levy will create wide-spread discontent among farmers. If force is used, it will create a serious law and order problem in the rural area. The Government take-over of more and more items will not solve the problem of prices. Increased production is the key to the solution of this problem.

Dalda is not available in the market and its prices are going up. Production of vegetable ghee has gone down because of delay in importing oil. There is scarcity of Sugar. Will State take-over of sugar industry increase sugar production ? State control is no solution to the problem. The Government took over the distribution of Cotton yarn, but no planning for distribution was made. It was announced in the Lok Sabha that the Government taking-over the distribution and orders were issued to the mills after five days. The Mills sold the entire stock of their Cotton yarn. Scarcity of yarn created serious crisis for the weavers. The Government is unable to increase the production and ensure proper distribution where it is necessary to do so. The Government has utterly failed on the economic front.

Our economic crisis can not be resolved by slogans. This problem can be tackled by increased production, uniformity in distribution and control on consumption. There is expansion of luxury sector in the country. Production of refrigerators and air-conditioners is increasing. Small car is being manufactured. But production of essential commodities like oil, salt and coarse cloth is going down. Why don't the Government control the luxury sector ?

We can not bring about uniformity in distribution by artificial controls. It is not enough to open the fair price shops, the question is whether commodities will reach the consumers. We will have to evolve a distribution suystem which fitted in our democratic structure. So far the control on consumption is concerned it has to be done from the top level. Today the expenditure on Rashtrapati Bhavan is more than the Parliament. There is a lot of expenditure on Governors. The so-called leaders of the society have to set an example of simplicity and austerity.

For the stability in prices there should be curb on deficit-financing and bank credit. There should be a link between money supply and rate of growth. Essential goods should not be taxed. The Government should resort to demonetisation to unearth black money and it is essential to create an atmosphere in the country which will prevent the creation of black money in future. The recommendations of Wanchoo Committee should be implemented and the trade of direct taxes be decreased. People should be encouraged to save more.

A state of uncertainty in the minds of the people should be ended. It will not allow agricultural and industrial production to increase. In a democratic structure economic development is not possible by state-control.

The country to-day is on the cross roads. We have to decide which way to go. If the Government wants to have the state-control in everything it will lead to total rationing. The uniformity in distribution can not be brought out by state control. State-control will lead to scarcity. In order to have uniformity in distribution the Government should increase production and open fair price shops for weaker sections of scarcity and essential goods should be supplied to those shops at subsidized rates. The Government should have partial control on trade and bring down prices. State control will not be successful, because the Government do not have necessary machinery. Economic reconstruction is not possible by plunging the country into economic crisis.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : मूल्यों में हो रही वृद्धि का मूल कारण वस्तुओं का अभाव है। देश में कम उत्पादन के कई कारण हैं। उनमें से कुछ कारण तो प्राकृतिक हैं और कुछ परिहार्य हैं, बशर्ते कि हमने सही नीतियों का अनुसरण किया होता, ज़ब कभी भी किसी देश ने केन्द्रीयकृत दृष्टिकोण अपनाया तो उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जैसा कि आज हमें करना पड़ रहा है।

हाल ही में हमने देखा है कि पश्चिम जर्मनी के चांसलर बिल्ली ब्रांट ने घोषणा की कि कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं हो सका है। कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के कारण ही उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। कुछ दबावों के बावजूद भी पश्चिमी जर्मनी की वर्तमान सरकार ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया है जिससे गैर-सरकारी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति दी गई। ऐसा करना हमारी वर्तमान स्वीकृत नीतियों के विरुद्ध हो सकता है किन्तु विभिन्न सम्भावनाओं की ओर दृष्टिपात करने में कोई हानि नहीं है।

सरकार ने एक विशेष नीति स्वीकार कर ली है जिससे कुछ क्षेत्र में गेहूं की उत्पादन लागत 90 रुपये से 100 रुपये तक है, जबकि किसानों को अपना गेहूं 76 रुपये की दर से बेचने के लिए कहा गया है। इसके फलस्वरूप किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। इस समस्या को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन लागत के आधार पर विभिन्न मूल्य निर्धारित करके दूर किया जा सकता है।

हमें उत्पादन के विभिन्न पहलुओं की लागत पर विस्तृत ढंग से विचार करना चाहिए। हमारी बजट सम्बन्धी नीति के कारण औद्योगिक कच्चे माल का मूल्य बढ़ गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि मूल्यों में वृद्धि हो गई, जिसे उत्पादन बढ़ाकर कम किया जा सकता है लेकिन अभाव के कारण अधिक उत्पादन करना सम्भव नहीं है।

पूंजीगत उपकरणों तथा कुछ प्रौद्योगिकी कठिनाइयों के कारण हमारा उर्वरक उत्पादन कम है। तत्तश्चात अनुरक्षण, श्रम सम्बन्धों तथा कुछ अन्य मामलों के प्रश्न सामने आये हैं। ये ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार विचार कर सकती है और उचित मूल्यों पर अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कर सकती है।

भविष्य में सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि वह ऐसा कोई व्यय नहीं करेगी जिससे उसे उचित लाभ न मिले एसा निर्णय राष्ट्रीय वस्तुओं अथवा राष्ट्रीय सेवाओं के आधार पर ही नहीं अपितु वस्तुओं की टनभार अथवा किसी अन्य तरीके से माप के आधार पर भी किया जाना चाहिए। अन्यथा हम जो भुगतान करेंगे उससे तदनुरूपी लाभ नहीं होगा, वस्तुएं सीमित रह जायेंगी और मुद्रा सप्लाई स्वतन्त्र होने से स्वाभाविक रूप से अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों के अन्तर्गत इससे कीमत में वृद्धि होगी।

बिजली की सप्लाई के कारण भी वस्तुओं की सप्लाई में कमी हुई है। भविष्य में इसमें सुधार किया जा सकता है। चालू मानसून की समाप्ति तक इस स्थिति में सुधार कर लिया जायेगा, लेकिन यदि हमारी आशाओं के अनुसार मानसून पर्याप्त रूप से न आये तो फिर हमें एक वर्ष और अभाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमें यह सुनिश्चित करना है कि स्थिति पर इस ढंग से नियंत्रण किया जाये जिससे कि लोगों को फिर कठिनाइयां न हों।

लोगों में विश्वास की भावना पैदा करके, वस्तुओं की सप्लाई करके, निर्माण के लिये सुविधायें जुटा कर तथा कुछ ऐसी नीतियों का अनुसरण करके जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, कमी तथा ऊंचे मूल्य सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

श्री मोहनराज कलिंगारयार (पोलाची) : सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोक नहीं पायी है जिससे हमारा देश कठिन दौर में से गुजर रहा है। प्रतिदिन हम समाचार पत्रों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। आवश्यक वस्तुयें बाजार में मिलती ही नहीं और यदि मिलती भी हों तो आम आदमी और मध्यम आय वाले लोग उन्हें खरीद नहीं सकते।

वितरण प्रणाली की मशीनरी को प्रभावी और सजग बनाये बिना सरकार ने अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया इसलिये सरकार को अनाज की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

खुले बाजार में चीनी की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। सरकार चीनी कम कीमत पर बेचती है लेकिन वह लोगों को मिलती ही नहीं।

8 मई 1973 को देसी गेहूं 105 रुपये से 125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा था। गेहूं के निर्धारित मूल्य से यह बहुत अधिक है। बासमती चावल में 10 रुपये से 25 रुपये तक की वृद्धि हुई है। यह 200 स 300 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। अच्छे किस्म का 30 हजार टन बासमती चावल निर्यात करन के लक्ष्य से कीमतों में बहुत वद्धि हुई है।

वर्ष भर में वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचकांक में 60 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पिछले किसी 12 महीनों में होने वाली वृद्धि से बहुत अधिक है। जब सरकार स्वयं ही मुद्रा-स्फीति को बढ़ावा देती है तो मूल्य कैसे कम होंगे। 1971-72 और 1972-73 में धन की सप्लाई में 2240 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 1971-72 और 1972-73 के दौरान बैंकों ने सरकार को 2297 करोड़ रुपये के ऋण दिये। सरकार को, मूल्य वृद्धि रोकने और देश में आवश्यक वस्तुओं के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिये।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : There is undoubtedly rise in prices. This is a problem which is the concern of us all. It was distressing that at certain places an attempt is being made to create a scare among the people about food shortage. It should be realised that such an attempt will only worsen the crisis.

The Government has taken steps to curb deficit financing. In the budget of this year steps have been taken to control deficit financing. The Government has also taken certian other steps to check inflation. Bad wether has affected only India but Asia as a whole. Even USSR has to import 20 million tonnes of wheat. China has also imported wheat.

Our increasing population is also adding to our difficulties. The population have increased at a very fast rate between 1961 and 1971. Steps have to be taken to check population growth

There should be production of essential commodities on mass-scale. Our agricultural reserch should also help us in finding out new strains of food grains so that our production increased.

The Government should take up irrigation projects, which could yield quick results. More funds should be provided for irrigation by tube-wells and other minor irrigation schemes.

The Government should announce the procurement price well in advance and have a long range police in this regard. If the formers are aware in advance the price they would get it, it will incrase the production. Number of river-water disputes are still pending. Early steps should be taken to resolve those disputes.

At present there is idle capacity in our factories. The capacities should be utilised fully.

Fair price shops are not functioning properly. It has not been possible to achieve equitable distribution through these fair price shops. The working of these shops be improved so that equitable distribution is ensured.

The Government should deal firmly with speculators, profiteers, black marketeers and other anti social elements Effective staps be taken to unearth the black-money. A price board should be constituted to keep a watch an the behaviour of prices. Deficit financing should be avoided as for as possible. All non developmental expenditure except defence expenditure should be stopped More and more stress should be laid an increasing production of items of mass consumption.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सरकार का पहला कर्तव्य शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने का है तथा दूसरा कर्तव्य मूल्य पर नियंत्रण करना है। सरकार इन दोनों ही कामों में सर्वथा असफल रही है। अतः इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये।

सबसे पहले सरकार को घाटे की अर्थव्यवस्था समाप्त करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय घाटे की अर्थव्यवस्था सम्बन्धी आंकड़ों को बहुत उलझा दिया है। घाटे की अर्थव्यवस्था 80 करोड़ रुपये की न होकर 400 और 500 करोड़ रुपये की होगी। जब इतने मूल्य की वस्तुयें और स्वर्ण नहीं है तो वित्त मन्त्री उसके बराबर नोट कैसे छापते चले जायेंगे। इसका इलाज यही है कि या तो संसाधन जुटाए जाएं या व्यय घटाया जाए। यदि आवश्यक हो तो विकास व्यय भी कम किया जाए।

वास्तव में यदि उचित कराधान नीति अपनाई जाए तो विकास कार्य को घटाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वास्तविकता यह है कि जहां लोग कर दे सकते हैं, उनपर कर नहीं लगाए जाते और जो लोग कर नहीं दे सकते उन पर कर लगाये जाते हैं।

वित्त मन्त्री कम से कम 1500 से 2000 हजार करोड़ रुपये के संसाधन और जुटा सकते हैं। उन्हें यह राशि आयात लाइसेंसों से मिल सकती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र का काम ठीक ढंग से चले। आज कराधान द्वारा काले धन में वृद्धि हो रही है। कालाधन मूल अर्थ-व्यवस्था का 7 गुणा हो गया है और इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है।

पिछले 17 वर्षों में अर्थात 1950 से 1966 तक मूल्यों में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 1966 और 1973 के बीच कीमतों में 66 प्रतिशत वृद्धि हुई। ऐसी दशा में हमारे देश की अर्थव्यवस्था विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जहां लाभ बहुत कम हैं, प्रत्येक दशक में 60, 70 और 80 प्रतिशत मूल्यवृद्धि कैसे खपा सकती है। मूल्य वृद्धि महीनों में नहीं रुक सकती किन्तु सरकार को नगरों का परित्याग करना चाहिए।

हमारे देश में बजट का अधिकांश भाग खाद्य में चला जाता है। जब अधिकांश भाग खाद्य में चला जाता है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि खाद्यान्नों का अधिकाधिक उत्पादन हो। इसके लिए सरकार को सिंचित भूमि में वृद्धि करनी चाहिए। जल-संरक्षण देश की समस्या है और भारत के बजट में जल-संरक्षण के बारे में कुछ भी नहीं किया जाता। यहां तक कि योजना आयोग के प्रतिवेदनों में इसके बारे में एक भी अध्याय नहीं रखा गया। यदि सरकार इसको स्थिर करना चाहती है और देश की प्रगति चाहती है तो उसे जल-संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : कीमतें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं किन्तु सरकार कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण कर सकती है। दुर्भाग्यवश इस देश में समूची अर्थ व्यवस्था उस प्रणाली पर आधारित है जो कुछ नीहित स्वार्थों के नियन्त्रण में है। इसी कारण कीमतों में वृद्धि हो रही है।

इस देश में काला धन एक समानान्तर अर्थव्यवस्था के रूप में विद्यमान है। छः महीनों में काला-धन दुगुना हो सकता है। जिन लोगों ने काफी सम्पत्ति इकट्ठी कर रखी है वे लोगों के साथ छलकपट कर रहे हैं। जो लोग जनसाधारण के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार जमाखोरों और चोर बाजारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं कर रही।

अर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। हमें कहा गया है कि कीमतों की वृद्धि का कारण वर्षा का न होना है। हमारे विशाल देश में क्षेत्र सूखा से प्रभावित रहती है। कुछ सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में हमारी सरकार को गम्भीर कदम उठाने में विलम्ब नहीं करना चाहिये।

यदि सरकार ने पहले ही सिंचाई परियोजनायें प्रारम्भ की होती तो खाद्य उत्पादन भी बढ़ा होता। सरकार को सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार का अधिग्रहण करना चाहियें ताकि मूल्य वृद्धि रोकी जा सके।

Shri Nanubhai N. Patel (Bulsar) :- The Government has utterly failed in holding the price line. The prices of foodgrains have almost doubled since 1972. In Gujarat, groundnut oil is selling at Rs 9 per Kg. when last year the price was Rs. 3·50 or Rs 4 per Kg.

श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए

SHRI S.A. KADAR IN THE CHAIR :- In Maharashtra and Gujerat monsoon starts some time in the second week of June. In may constituency, the main crop grown is paddy. The area is mainly perpulated by adivasis. Now the Government, in view of comming monsoon. must see that adequate supply of good quality of seed of paddy is made available to the adivasis. The State Government should be instructed to take suitable action to provide the seeds to the adivvasi cultivators well in time.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यह सर्वविदित है कि कीमतों की वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन म, विशेषकर खाद्यान्न, तेल, कपड़ा आदि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की कमी है। हमें इस प्रश्न पर बड़े परिपेक्ष्य को ध्यान में रख कर विचार करना है।

देश में काले धन की समानान्तरण अर्थव्यवस्था चल रही है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। जो विधेयक लाया जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। आशा है कि इससे काले धन का पता लगाने में सहायता मिलेगी। परन्तु मुझे इसके बारे में भी शंका है।

कृषि में सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि हमने मुख्य और लघु सिंचाई परियोजनाओं और विशेषकर भूगर्भीय जल की ओर पर्याप्त ध्यान दिया होता तो हमने कुछ प्राप्त कर लिया होता। यही मुख्य कारण है कि जिससे हमें वर्तमान स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

देश के जल संसाधनों का संरक्षण ही मुख्य कार्य है। हमें नदी घाटी परियोजनाओं की शीघ्र प्रारम्भ करना चाहिए ताकि हमें सदैव इन्द्र देवता की इच्छा पर निर्भर न रहना पड़े। राजस्थान जैसी नहर परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। हमें समूचे मामले पर नई दृष्टि से विचार करना चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि के लिए उत्तरदाई व्यक्तियों को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जाना चाहिए क्योंकि वे लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। सरकार को कीमतें निर्धारित कर देनी चाहियें और तत्पश्चात् यह घोषणा कर देनी चाहिए जो भी अधिक कीमत लेगा उसे दण्डित किया जायेगा। इससे कुछ सफलता मिलेगी।

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) :- We are discussing the question of rise in prices at a time when there seems to be no ray of hope people seem to losing faith in the policies of the Government. When I go to my constituency everybody tells the same thing that wheat, rice, suger, coal nothing is available and the people are angry like any thing. We have no answer to their queres. So why the prices of every common item has gone up. What has depreciated in value are honesty and human life. I am not against nationnalisation but I will definitely oppose the indiscriminate rise in the price after the things are nationalised or taken over by the Government. Whatever field Government has stepped in the result there of is before us. Whether it is wheat iron or coal after taking over by the Government their prices have risen sky high. Two months earlier coal was available at 3 or 4 rupees a maund, now its rate is 11 to 12 ruppees per maund. Similarly although sugar is a controlled item, its rates differ from Rs. 2·25 to Rs. 4·25 per kg from place to place.

In Bihar, the situation is rather horse grave· There is scarcity of foodgrains, Coal, essential commodities all over the State. The drinking-water is being sold at Rs. 2/- per pitcher.

The people have not yet lost faith in the Government. Therefore, I request the Government that it must ensure that the distribution system is tightened up and the bureaucrates do not behave in a way which is against the people. The Government must see that the things are made available by it reach the people and they are benefitted by the policies of the Government.

प्रो० मधु दण्डवते : मूल्य वृद्धि की समस्या को समय पर ही हल किया जाना चाहिये किन्तु लगता है यह एक शाश्वत समस्या बनती जा रही है । इसके साथ रुपये की कीमत भी घटती जा रही है और लोगों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है । पांचवी योजना के दृष्टिकोण पत्र में मूल्य वृद्धि के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई है दृष्टिकोण पत्र में मूल्य वृद्धि को लेकर तीन बुनियादी बातों को उठाया गया है । पहली यह कि मांग उपलब्ध वस्तुओं से अधिक है । दूसरा, काले धन के रूप में बिना हिसाब-किताब की आय है । इस काले धन से कुछ लोग वस्तुओं की खरीद करने में बहुत तत्परता दिखाते हैं । अंत में यह कि एक ओर तो लागत से वृद्धि हुई है और दूसरी ओर उत्पादकता में सुधार नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त धन की सप्लाई में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है ।

दुर्भाग्यवश कृषि उत्पादन में अवरोध के कारण और पूंजी निवेश के अनुपात में उत्पादन न होने के कारण मूल्य वृद्धि पर काफी प्रभाव पड़ा है । दूसरा, विकास की नीति के लिए क्षमता के उपयोग के स्थान पर क्षमता के निर्माण को आधार बनाया गया है ।

अत्यधिक पूंजी निवेश वाले कार्यक्रम असफल हो रहे हैं क्योंकि उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की न्यूनतम सप्लाई का आश्वासन नहीं दिया गया है ।

दृष्टिकोण पत्र में बताया गया है कि हमारी अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीति और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था को कम किया जाना चाहिये किन्तु ऐसा कोई संकेत नहीं है कि सरकार ऐसी कोई नीति अपना रही है जिससे घाटे की अर्थ व्यवस्था को कम किया जा सके । दुर्भाग्यवश, साख क्षमता का निर्माण और मुद्रापूर्ति उत्पादन से अधिक है जिससे बुनियादी समस्या यह बन गई है कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में उत्पादन में किस तरह वृद्धि की जाये । इसके लिये यह आवश्यक है कि गैर सरकारी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में कार्यकुशलता बढ़े और उत्पादन का स्तर भी बेहतर हो ।

हालांकि जिस तरीके से खाद्यान्न अधिग्रहण को क्रियान्वित किया जा रहा है, मैं उसकी आलोचना करता हूं किन्तु सिद्धान्ततः मैं इस बात को मानता हूं कि देश में सभी आवश्यक वस्तुओं का अधिग्रहण किया जाना चाहिये और थोक-व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । मुझे खेद है कि जिस प्रकार से गेहूं के अधिग्रहण को कार्यरूप दिया जा रहा है, उससे तो बफर स्टाक में वृद्धि करने और मूल्य स्थिर करने का उद्देश्य ही बिल्कुल समाप्त हो जायेगा । यदि सरकार अपनी नीति नहीं बदलती है तो चीनी की तरह इस क्षेत्र में नई समस्याएं पैदा हो जायेंगी । यदि चीनी की तरह दो बाजार और दो मूल्य बनाये जाते हैं तो उत्पादक के मूल्यों और उपभोक्ता मूल्यों की स्थिरता बिल्कुल समाप्त हो जायेगी । यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि कृषकों को उचित मूल्य मिले ।

वनस्पति मूल्यों का भी उल्लेख किया गया है । मेरे पास प्रामाणिक जानकारी है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जानबूझकर मूल्य वृद्धि का प्रयत्न कर रहा है । इसी प्रकार ये लोग डालडा वनस्पति जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कम कर रहे हैं । जब तक इन पर नियंत्रण नहीं रखा जाता, मूल्य वृद्धि की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है । इन सब समस्याओं पर विचार करके अधिग्रहण का युक्तिकरण किया जाना चाहिए ।

Shri B. R. Shukal (Bahraich) : Our first problem is how the wheat should be brought to the market and be made available through fair price shops? We should not expect that the cultivaters who were getting Rs 125 or 130 per quintal of wheat will now give their produce at the rate of Rs. 76 or 82. Instead of making it a matter of prestige, we should evolve same practical mothod.

Secondly the Government has imposed a procurement levy of 25 or 30 per cent. Food-grain dealers are ready to make available that percentage. But for the rest there should be not restricton.

Essentisal commodities like vanaspati, sugar and kerosine oil are not avilable to the people but sweet shops and restaurants are not having any diffculty ih getting these things This means that a big officers and bureauerats are in collison with such people. The best way to deal with such officers is that if they do no act as per as the government policy, they should be demoted and there should not be any production for them.

Today there are big licencess who are having licences for so many things. These should be cancelled and things should be distributed through cooperatives.

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : जब कि हम संसद में बैठकर मूल्य वृद्धि पर चर्चाएं कर रहे हैं, देश में आग लगी हुई है और अफसरशाही ऐसे आराम में डूबी हुई है।

इसके अलावा जो बात मुझे कोंचती है, वह यह कि आजादी के 25 वर्षों के बाद भी देश में दो वर्ग बनें हुए हैं--शासित और शासक। जब तक इनमें अंतर समाप्त नहीं किया जाता है, आप गेहूं अधिग्रहण या आवश्यक वस्तुओं के वितरण जैसा कोई भी काम करते रहिये, उससे कोई लाभ नहीं होगा। यह आजादी की भावना गांवों में भी महसूस की जानी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : मूल्य वृद्धि रोग न होकर उसका परिणाम है। इसलिए हमें उस जहर से छुटकारा पाना है जिसका यह परिणाम है। जब तक व्यक्ति में सुधार नहीं लाते तब तक देश में सुधार नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। समाजवाद हमारा लक्ष्य अवश्य है किन्तु अभी तक हम उससे बहुत दूर हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि मूल्य वृद्धि से न केवल सरकारी स्तर पर अकुशलता का पता लगता है बल्कि यह अकुशलता ग्रामीण और प्रत्येक व्यक्ति तक फैली हुई है। जब तक अकुशलता को दूर नहीं किया जाता है, हमें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल सकती और अकुशलता दूर होगी शिक्षा से। यदि हम अशिक्षा के इस अंतर्निहित रोग से छुटकारा पा लें तो हमारी काफी समस्याएं हल हो सकती हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई संसद सदस्य सरकार से किसी कदाचार के बारे में सरकार को सूचित करता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये और उसकी जाँच अफसरशाही पर नहीं छोड़ दी जानी चाहिये। इसके लिए यह कहना कि कानूनन हम उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते, ठीक नहीं है क्योंकि कानून जनता के लिए होते हैं, न कि जनता कानूनों के लिए। यदि किसी कानून से जनता के हितों को हानि होती है, तो उन्हें बदल दिया जाना चाहिये।

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) : Mr Speaker, sir all of us are aware of the fact that poverty and prices are increasing in this country but we have never tried to find out the reasons responsible for such increase. I would like to draw the attention of the Government towards this. The main reason for the scarcity of commodities, increase in prices and prevalence of poverty is the ever growing populition of our country. This question of population explosion has to be dealt with in all seriousness.

As far as sugar is conerned production of sugar has incrased this year as composed to last year. In the open market sugar prices have gone up and this increased price is going to growers, As for nationalisation of the sugar industry a commission has given its export opinion. It is now for the government to take a decision.

Shri S.A. Shamim (Srinager) : As the government has failed to chaek the price it should quit.

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

It has been said that there is rise in U.S.A· Britain and other countries and there for it was so in India also. Some Members want that the system of education be changed while others have demanded a check on the birthrate : Government have taken to check the birth rate as also to change the present educational system, yet the prices have been rising. This only shows that the Government has failed in its policies. All persons should equally share the burden of the present difficulties in the country. When the common man's purchasing power has come down to almost fil there is no justification for spending lakhs of rupees on ministers comforts and luxuries· It is true that in a developing economy prices do rise; But why should the impact of rising prices be greatest only a one section of the community the fixed income group. You have said that there is 7000 crores of black money in the country. But who steps for Government form unearthing that money and make use of it for the welfare of the people ? Leaders in the Government make tall promises when elections are held but now they have gotten all that, The Common man is growing under the burden of high prices and the Government is doing nothing about it.

But there is a limit to the patience of the people and that limit has now been reached.

Shri Chandra Bhal Mani Tiwari (Balrampur) : Today I have got an opportunity to speak to the price rise who is responsible for these price rises and what are the reasons there of ?

The bureaucrats are responsible for the present increase in prices. To same extent Ministers who have to keep a check on the bureahcrats are also responsible for this. Our Food Minister Shri Fakhrudd in Ahamad is too old to now. Now shree Shinde shouldt ake this work on his hands.

I would like to request the honourable Minister Shri Chavan that there is need for bringing about certain changesin our present economic structure. An all out effort should be made to unearth black money.

Prime Minister alone will not able to do anything. unless all of us make efforts nothing can be done to sake this problem. Shri K. L. Rao is also responsible for this as there is need for expediting implementi̇on of our irrigation and power projects. This would provided more irrigation facilities and also help in meeting our power needs.

There is demand for nationalsation of sugar industry we have nationalsed coal, Banks and, now we have also nationalised wheat. But what is happening in these sectors. We were told in a meeting last year that we have ample stock of wheat with us. Where has that wheat gone now. Coal is being sold at a very high rate in the market where the cost of production of coal is much cheaper. Therefore before we think of nationalising this industry we should first achieve success in those sectors we have already nationalised.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : There is great impact of prices an economic development production, consumption, trade industry, etc. are effected by the prices Food grains and cloth formed major part of familys budget we should make an all our effort to supply these essential items at reasonable rates. Keeping this thing in view we had tried to control the insulation in the first five year plan. And we had achieved success in this regards to same extent in consequently the price-index which was 118 in 1951-52, had come down to 92·5 in 1955-56. But during the second five year plan the price-index had risen by percent compound to the first plan period. We had not given top priority to agriculture in the second plan as we had done in the first plan. We should give top priorty to development of agriculture. If our agriculture develops it would lead to industrial development of our country.

We should have full control on production, marketable surplus, imports, population growth incomes, hoarding etc. This would lead to stabilisation in prices of agricultural commodities as well as industrial goods. We should also have control on wages.

The Food Corporation has to play an important role in making policy to take over of whole sale trade in foodgrains a success. Steps should be taken to improve the working of the Food Corporation. This Corporation should have monopoly control on distribution of fertilizers, improved seeds and inter-state movement of foodgrains.

There is acute shortage of foodgrains, coal, sugar and kerosene in Bihar. The Government should take urgent steps to provide these essential goods to the people of Bihar. Their proper distribution should also be ensured by the Central Government through its own machinery.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मूल्य वृद्धि पर यह चर्चा अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है और मुझे आशा है कि इसके अच्छे परिणाम भी निकलेंगे ।

मैं अपने विचार रचनात्मक ढंग से रखना चाहता हूं । सरकार इस बात से इंकार नहीं कर सकती कि कीमतें दिनोंदिन बढ़ती रही हैं । मूल्यों में प्रतिमाह प्रति सप्ताह और यहाँ तक कि प्रतिदिन वृद्धि हो रही है । मुद्रा स्फीति, मूल्यों में वृद्धि, बेरोजगारी कालाधन काला बाजारी आज की मुख्य विशेषताएं हैं । मूल्यों में वृद्धि कुछ सीमा तक तो उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं, परन्तु यदि मूल्य लगातार बढ़ते ही जाएंगे, तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी और उससे देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

इस देश में जिस तेजी से मूल्यों में वृद्धि हो रही है उस हालत में देश के लाखों लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि बंगलादेश से हमारे सम्बन्ध कैसे हैं या रूस से हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं कि नहीं, या अमरीका के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए हम बातचीत करने जा रहे हैं । आम जनता को तो खाना कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार जेसी आधारभूत आवश्यकताओं में रुचि है और जनता को ये वस्तुएं प्रदान करने में ही सरकार लगातार असफल रही है ।

बढ़ते हुए मूल्यों के प्रश्न पर समूचे महाराष्ट्र तथा गुजरात में गम्भीर दंगे, अत्यधिक कठिनाइयां तथा झगड़े हुए हैं । 9 मई को अहमदाबाद बन्द के आह्वान पर समूचे अहमदाबाद नगर में सारा काम ठप्प रहा । यह बन्द पूर्ण रूप से सफल रहा । लिम्बदी में गोली चलाई जाने के फलस्वरूप दो व्यक्तियों की जानें गई । गुजरात सरकार को पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियाँ की घटना की न्यायिक जाँच करवानी चाहिए ।

घाटे की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है । मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक बनी हुई है । बाजार में मुद्रा सप्लाई करना आसान है किन्तु उसे वहाँ से निकालना कठिन है ।

देश के नेताओं को विलासपूर्ण तथा अनावश्यक काम से परहेज करना चाहिए । अपने जीवन यापन के ढंग में उन्हें गोखले, तिलक, गाँधी तथा सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तियों का आदर्श पेश करना चाहिए ।

विमुद्री करण के लिए कठोर कदम उठाये जाने चाहिए । क्या सरकार ऐसा करेगी ?

वह दिन भी दूर नहीं है, जबकि मूल्य वृद्धि से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिस का हमें राष्ट्रीय स्तर पर सामना करना पड़ेगा यदि मुद्रा स्फीति तथा मूल्य-वृद्धि को नहीं रोका गया तो निदेशक सिद्धांतों से संबन्धित किसी कानून को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर): अध्यक्ष महोदय, समूचा देश मूल्य वृद्धि के भार से दबा हुआ है। उड़ीसा के अधिकाँश जिलों में विशेषकर आदिवासी जिलों में भुखमरी के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। भुबनेश्वर में चावल 2.70 रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। सरकार को आवश्यक वस्तूओं की कीमत में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जब तक प्रशासन में सुधार नहीं किया जाता तथा भ्रष्टाचार दूर नहीं होता तब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता।

भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्ध में हुए वाद-विवाद के दौरान में यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाई गई कि 30 लाख रुपये के मूल्य को खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गायब हो गया। सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? जब तक कृषि वस्तुओं की अवैध सट्टेबाजी पर रोक नहीं लगा दी जाती, तब तक मूल्य वृद्धि को रोकना सम्भव नहीं है। बम्बई, कानपुर, ग्वालियर तथा अहमदाबाद में सट्टेबाजी का बोलबाला है। दिल्ली में काला बाजारी तथा जमाखोर मिलकर सट्टेबाजी कर रहे हैं। सरकार को इस अवैध धंधे को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The situation in the country today is explosive and if some people at some places have tried to loot the shops etc., one cannot entirely blame them. It is not that we support this action, but conditions have become so had that poeple are forced to resort to such things. I want to warn the Government that the government must came out with immediate steps to control the deteriorating situation.

Today the hoarders and the bureaucrates are in league with each other and they are determined to see that measure like take-over of wholesale trade in foodgrains do not succeed, In U. P. in the procurement machinery of the Government it self, there are officials who do not want the take over to succeed they have their own interests.

Some of the manufacturers have not only increased the price of there products but they have also reduced their weight For example, the Hindustan leavers have increased the prices of life buoy Sunlight, Rin soaps and other things and at the same time they have reduced the weight there of They hold back stocks of Dalda and baby foods in delhi, when these are so badly needed. There fore such companies who are sucking the blood of the people should be taken off.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : इसमें सन्देह नहीं कि हम बड़ी कठिन स्थिति में हैं। यह स्थिति कुछ राष्ट्रीय और आर्थिक कठिनाइयों के कारण पैदा हुई है जो कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे सामने आई हैं। कीमतों में वृद्धि के सम्बन्ध में हमने इस तत्व की ओर देखा है कि हमारी अर्थव्यस्था विश्व-अर्थव्यवस्था का भाग है। स्वभावत : अन्य देशों में हो रही मुद्रा स्फीति से हमारे देश पर प्रभाव पड़ा है, और हमारी अर्थव्यस्था में भी कुछ गड़बड़ी है।

मूल्यवृद्धि की आधारभूत समस्या उत्पादन की समस्या है। यह तथ्य है कि पिछले दो वर्षों में कृषि में कुछ न कुछ अवनति हुई है 1972 में हमें न केवल सूखा पीड़ित क्षेत्रों में खरीफ की फसल में हानि हुई है बल्कि समूचे भारत में और वह भी देश के मुख्य भागों में हमें खरीफ की फसल में हानि हुई है, जबकि यह फसल इस देश की महत्वपूर्ण फसल है। जब कुछ क्षेत्रों में खरीफ फसल की पूरी हाँनि हुई है, तो कीमतों की वृद्धि के सिवाय और क्या होगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि इस समय 83 लाख से अधिक लोग सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हम उन्हें रोजगार देने तथा उनकी कम शक्ति को बढ़ाने में

समर्थ हुए हैं। हमें घाटे की अर्थव्यवस्था से दूर रहने की सलाह दी गई है। सैद्धान्तिक रूप में यह एक ठोस प्रस्ताव है। किन्तु क्या हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जबकि इतने अधिक लोग पीड़ित हैं। जब कोई उत्पादन नहीं है और कोई रोजगार नहीं है, तब हमें उनके लिए हमें कुछ क्रय शक्ति की व्यवस्था करनी होगी।

रबी आपात उत्पादन कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद हमने एक साहसिक कदम उठाया है और इसी प्रयास के कारण हम 80 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली का लक्ष्य पूरा करने की आशा कर रहे हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि दीर्घावधि कार्यक्रम से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा और हमें सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए भी कुछ करना चाहिए। हमने इस वर्ष अग्रिम कार्यवाही के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अग्रिम कार्यवाही का अर्थ यह है कि परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जाए जिससे कृषि औद्योगिक तथा बिजली उत्पादन में सहायता मिल सके।

वितरण व्यवस्था के बारे म एक बात यह कही गई है कि हमें वितरण में समानता लानी है तो क्या यह थोक व्यापार को अपने हाथ में लिए बगैर लाई जा सकती है ?

अब हमें खाद्यान्न के मूल्यों विशेषकर गेहूं तथा अन्य वस्तूओं की कीमतों को निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। गेहूं का मूल्य पहले ही निर्धारित कर लिया गया था। क्या यह ठीक है कि अभाव की स्थिति में तथा कुछ कठिन स्थितियों के कारण, चूंकि बाजार में मूल्य बढ़ रहे हैं अत : हमें वसूली मूल्य में वृद्धि करते जाना चाहिए ? क्या इससे कीमतों में स्थिरता आ सकेगी ? ऐसा करने से तो कीमतें और भी बढ़ती चली जाएंगी।

लोक प्रतिनिधियों के रूप में हमें किसानों को बताना पड़ेगा कि शायद वे यह सोच रहे होगें कि खुले बाजार की तुलना में उन्हें कम कीमत मिल रही है। किन्तु यह मूल्य ऐसा है जो उन्हें सदैव मिलता रहेगा।

आज स्थिति यह है कि कुछ थोक व्यापारी किसानों को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि वे बाजार में गेहूं न बेचें। यदि उन्हें गुमराह किया गया तो हम ऐसा नहीं होने देगें। सरकार इस बात के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि जमाखारी को जारी न रहने दिया जाए।

यह सौभाग्य की बात है कि कम से कम देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति कुछ ठीक है। लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए हमें कुछ आयात तो करना ही पड़ेगा। हम सदैव खाद्यान्न आयात के विरूद्ध रहे हैं। किन्तू यदि देश में भुखमरी की स्थिति आ जाए और मूल्यों में वृद्धि होने लगे तो फिर हमें आयात करने पर विचार करना ही पड़ेगा। सम्भवत : तब ये किसान सोचेगें कि थोक व्यापारी हमें गुमराह कर रहे हैं।

सरकार ने उन्हें सिंचाई तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपयों का निवेश किया है। अत : जब जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, तो उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे सरकार के साथ सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हमारे लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम एक वितरण प्रणाली तैयार करें जिसके माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुएं सप्लाई की जा सकें।

तेल की समस्या वि मान है। मुख्य प्रश्न यह है कि देश में तिलहनों के उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत की कमी है। ऐसे में स्वाभाविक ही है कि हमें तिलहनों का आयात भी करना पड़ रहा है।

जैसा कि पहले कहा गया है वर्तमान कठिनाई अन्तिम चरण में है। हमें जनता में विश्वास पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ लोग जनता की शिकायतों को पेश करने के नाम पर उनको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय इस प्रकार का कार्य राष्ट्र के प्रति गैर-जिम्मेदार कार्य अथवा अपकार होगा।

तब लोक सभा बुधवार 16 मई 1973 / 26 बैशाख 1895 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 16, 1973 Vaiskha 26, 1895 (Saka)

M367LSS/73—490—28-12-73—GIPF.